

दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2007-2008

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

नवम्बर November, 2007

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2007-08

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 42 अनुदान और 1 विनियोग शामिल हैं। 33290.87 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 11,869.60 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/ वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 21,420.82 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 45 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2007-2008.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2007-2008 includes 42 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 33290.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 11,869.60 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 21,420.82 crore. Besides, token provision of Rs. 45 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

है :				are as follows:			
					<i>(क</i> ् आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	in Crore) जोड
अनुद	शन संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	द व्यय			h Outgo			
कृषि	मंत्रात		MI	NISTRY OF AGRICULTURE			
1	-	तथा सहकारिता विभाग	1	Department of Agriculture and Cooperation			
	(क)	निम्नलिखित के लिए - (i) कृषि बीमा		(a) For (i) implementation of Weather			
		कम्पनी के अन्तर्गत प्रायोगिक आधार पर		Based Insurance Scheme on pilot			
		मौसम आधारित बीमा योजना का कार्यान्वयन		basis, under Agriculture Insurance			
		(69.19 करोड़ रुपए), (ii) 'राष्ट्रीय खाद्य		Company (Rs. 69.19 crore), (ii)			
		सुरक्षा मिशन' के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों		providing additional funds under			
		को उपलब्ध कराना (198.75 करोड़ रुपए),		'National Food Security Mission' (Rs.			
		(iii) कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं के		198.75 crore), (iii) providing funds			
		सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना		under Additional Central Assistance			
		के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध कराना (4.00 करोड़ रुपए)।		Scheme to State Plans for Agriculture	271.94		271.04
	(ख)	रबी 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान		(Rs. 4.00 crore).(b) For reimbursement of losses incurred	2/1.94	-	271.94
	(ಆ)	सरसों के मूल्य समर्थन प्रचालनों के तहत		by National Agricultural Cooperative			
		सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान पर		Marketing Federation of India			
		भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ		Limited on procurement/disposal of			
		लिमिटेड द्वारा उठाए गए नुकसान की		mustard seeds under Price Support			
		प्रतिपूर्ति।		Operations for Mustard during Rabi			
		ď		2005-06 and 2006-07.	_	200.00	200.00
	(ग)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के लिए राज्य		(c) For providing funds under Additional			
		आयोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय		Central Assistance Scheme to State			
		सहायता के अन्तर्गत निधियों को उपलब्ध		Plans for Agriculture in North Eastern			
		कराने के लिए।		Areas.	30.00	-	30.00
	(ਬ)	कृषि के सम्बन्ध में राज्य आयोजनाओं के		(d) For providing funds as Grants-in-aid			
		लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत		under Additional Central Assistance			
		सहायता अनुदान के रूप में निधियों को		Scheme to State Plans for			
		उपलब्ध कराने के लिए।		Agriculture.	565.00	-	565.00
	(ङ)	कृषि के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय		(e) For providing funds as Grants-in-aid			
		सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान		under Additional Central Assistance			
		के रूप में निधियां उपलब्ध कराने के लिए।		Scheme to Union Territory Plans for	1.00		1.00
		पर राम म । गायमा उपलब्द करान क लिए।		Agriculture.	1.00	-	1.00
कोय	ला मंत्र	त्रालय	MI	NISTRY OF COAL			
10	कोय	ला मंत्रालय	10	Ministry of Coal			
	निम्ना	लिखित गोजनाओं के अन्तर्गत लाग की पर्ति		For meeting expenditure under the schemes			

c

निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति करने हेतु (क) कोयला खानों में संरक्षण और

For meeting expenditure under the schemes (a) Conservation and Safety in Coal Mines

सुवान संख्या और गीर्षक तथा मधी का विकल्ण सुवार (164.99 कर्णक करण) और (१७) कोल्स्मीलंड क्षेत्रों में पश्चित्तन वांचाना विकल्स (44.99 कर्णक क्षण)। वाणिज्य तथा ज्योग मंत्रालय (क) निम्मीलंडित के लिए - (i) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) चम निर्मातें पर सुन्निक वांचाना क्षण क्षण के निर्मालंडित के लिए - (ii) मिर्नालंडों को निर्मालंडित के लिए - (ii) मिर्नालंडों को निर्मालंडित के लिए व्या (31.58 कर्णक) को पूर्ण हेवा का क्षण क्षण क्षण का क्षण का क्षण का क्षण का क्षण क्षण का का क्षण का क्षण का क्षण का क्षण का का क्षण का क्षण का क्षण का क्षण का क्षण का का क्षण का क्षण का का क्षण का का का क्षण का क्षण का का का क्षण का का का का क्षण का का का का क्षण का			(करोड़ रुपए Rupe आयोजना आयोजना-भि		<i>जोड़</i>
क्षित में मं परिवन्न बांचारत विकास (44.99 करोड़ रुपए)। बाणिज्य तथा उद्योग मंत्रात्य शा बाणिज्य तथा प्रदोग के लिए - () चम निर्याती पर बुख्य कार्याक के किए - () चम निर्याती पर बुख्य कार्याक के किए - () चम निर्याती के किए के कार्या प्रदोश के कार्या के लिए क्या कार्याक के लिए क्या अर्थाती के बार्या कार्याक के लिए क्या प्रविद्योग के लिए क्या विकास के कार्या प्रविद्योग के लिए क्या विवास मानले, खारा तथा सार्वजनिक वितरण विभाग वया प्रविद्योग के लिए क्या के लिए क्या व्या सार्वजनिक वितरण विभाग वया सार्वच्या कार्य निर्याच के लिए क्या कार्य करोग के लिए क्या कार्य करोग के लिए के कार्य कार्य करोग के लिए किए क्या कार्य कराय के कार्य कार्य करोग के सार्वच्या कार्य निर्याच के लिए व्या कार्य निर्याच के लिए विभाग कर्या मार्वजनिक वितरण विभाग कर्याच करोग के सार्वच्या कर्य कर्य के कार्यच्या कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य कर्य	अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items			Total
11 बाणिज्य विमाग (क) निम्नविखित के लिए - (i) सम निर्यालों पर्व चुल्क को प्रतिच्छी के लिए कमेंचि के विक पर्व जी मिरान और विशेष अधिक क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लिए कि विशेष की किए कमेंचि के लिए कि विशेष की किए कमेंचि के लिए कि विशेष के लिए कि विशेष के किए कि कमेंचि के लिए कि विशेष के अपने के लिए क्षेत्र के लिए के लिए क्षेत्र के लिए के	क्षेत्रों में परिवहन ढांचागत विकास (44.99 करोड़	Transport Infrastructure in Coalfields Areas	127.19	-	127.19
11 वाणिव्य विभाग (क) निम्नितिहें के लिए - (i) सम निर्पालं पर पुलक बासनी के वार्च के निपटन और विशेष अधीर्क होतों के लिए केन्द्रीय विक्री कर राज्य सीमा उपाय पुलक की प्रमित्त (200.00 करेक करो) और (ii) निर्पालंकों को काण मित्री उपाय आर्थिक सहायता (300.00 करेक रुपए)। (व) फुटदेयर किजाइन विकास संस्थान, राज्यसंती (उ.) के उन्मयन के लिए व्यय (31.58 करेक्ट) की पूर्ण होने वह कि स्थाप (31.58 करेक्ट) की पूर्ण होने हिए व्यय सार्यजनिक वितरण विभाग वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए पार्ट्रीय कृषि सहायता प्राप्त के आवन के कि एवं प्रमाप वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए पार्ट्रीय कृषि ला आपार्थ करोने के लिए। (व) करोक के स्थाप के अपन्य में अहायता वार्य सार्यजनिक वितरण विभाग वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए पार्ट्रीय कृषि ला आपार्थ करोने के लिए। (व) कुका बहीद समायता प्रपत्न करोने के लिए। (व) कुका बहीद समायता प्रपत्न के समय में सहायता अपन्य (10) करोक स्थाप के समय में सहायता अपन्य के समयते के	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय				
18 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा प्रामीण विकास बँक के जिए राष्ट्रीय कृषि तथा प्रामीण विकास बँक के जिए राष्ट्रीय कृषि तथा प्रामीण विकास बँक के जिए सहकारी तथा शहरे सहकारी बँक को खाज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। संस्कृति मंत्रालय 19 संस्कृति मंत्रालय विम्तिविद्यित के लिए - (क) कुका शहीद समारक, मलेश्कोटला पंजाब के सम्बन्ध में सहायता अनुवन (1.00 करोड रुपए) और (ख) पड़ले स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांव के समार्थह के सम्बन्ध में निम्निविद्यित कार्यक्रमों/गितिविद्यों के लिए होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतुः () कर्नोटक सरकार ह्यार टीपू सुल्तान से सम्बद्ध समारोह का आयोजन, (ii) गीत तथा नाटक प्रमाना के कार्यक्रम, (ii) सुन्तना तथा प्रसारण मंत्रालय प्रतारण जीपकर फिल्म का निर्माण (iv) संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम, (iv) जिल्यांवाला समारोह (v) जवाहर लाला नेहरू विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह पीठ के स्थापना और (v) इंदिलग गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सहादुरशाह जफर पीठ की स्थापना (28.94 करोड रुपए)। कियो मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs. 1.00 crore) and (b) meeting additional expenditure for the following programmes/ events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857: (i) Organising function on Tipu Sultan by Government of Karnataka, (ii) Programmes of Song and Drama Division, (iii) Production of a feature film 'Tatya' by Ministry of Information and Broadcasting, (iv) Programmes of Sangeet Natak Academi, (iv) Function at Jallianwala Bagh, (v) Setting up a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs. 28.94 crore). विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs	(क) निम्नलिखित के लिए - (i) सम निर्यातों पर शुल्क वापसी के दावों का निपटान और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर तथा सीमा उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (600.00 करोड़ रुपए) और (ii) निर्यातकों को रुपए निर्यात ऋण के सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता (300.00 करोड़ रुपए)। (ख) फुटवेयर डिजाइन विकास संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) के उन्नयन के लिए व्यय (31.58	11 Department of Commerce (a) For (i) settlement of claims of Duty Drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty for Special Economic Zones (Rs. 600.00 crore) and (ii) providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to the exporters (Rs. 300.00 crore). (b) For meeting expenditure (Rs.31.58 crore) for Upgradation of Footwear Design Development Institute, Rae	29.78	900.00	900.00
19 संस्कृति मंत्रालय 19 Ministry of Culture For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Price For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Price For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs. 1.00 Crore) and (b) meeting additional expenditure for the following programmes/ events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857: (i) Organising function on Tipu Sultan by Government of Karnataka, (ii) Programmes of Song and Drama Division, (iii) Production of a feature film 'Tatya' by Ministry of Information and Broadcasting, (iv) Programmes of Sangeet Natak Academi, (iv) Function at Jallianwala Bagh, (v) Setting up a Chair on Shaheed Bhagat Singh at Jawaharlal Nehru University and (vi) a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs. 28.94 crore). 29.94 29.0	मंत्रालय 18 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के जरिए सहकारी तथा शहरी सहकारी बैंक को ब्याज आर्थिक सहायता	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution For providing interest subvention to the Cooperative and Urban Cooperative Bank through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the	-	158.86	158.86
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 विदेश मंत्रालय 31 Ministry of External Affairs	निम्नलिखित के लिए - (क) कुका शहीद स्मारक, मलेरकोटला पंजाब के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए) और (ख) पहले स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ के समारोह के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतुः (i) कर्नाटक सरकार द्वारा टीपू सुल्तान से सम्बद्ध समारोह का आयोजन, (ii) गीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यक्रम, (iii) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'तात्या' फीचर फिल्म का निर्माण, (iv) संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम, (iv) जलियांवाला समारोह, (v) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह पीठ की स्थापना और (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहादुरशाह जफर पीठ की स्थापना	For (a) grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs. 1.00 crore) and (b) meeting additional expenditure for the following programmes/ events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857: (i) Organising function on Tipu Sultan by Government of Karnataka, (ii) Programmes of Song and Drama Division, (iii) Production of a feature film 'Tatya' by Ministry of Information and Broadcasting, (iv) Programmes of Sangeet Natak Academi, (iv) Function at Jallianwala Bagh, (v) Setting up a Chair on Shaheed Bhagat Singh at Jawaharlal Nehru University and (vi) a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs. 28.94		20.04	20.00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	31 विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs	-		29.9· 100.0·

		(क	(करोड़ रुपए Rupee		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan		
	Grant No. & title and description of items	1 1411	TOIL I IAII	Total	
वित्त मंत्रालय 34 व्याज संदाय 'बाजार स्थिरीकरण योजना' के अन्तर्गत ब्याज देयताओं के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF FINANCE 34 Interest Payments For meeting additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Stabilisation Scheme'.		4,500.00	4500.00	
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (क) निम्नलिखित के लिए - (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (1500.00 करोड़ रुपए), (ii) अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (500.00 करोड़ रुपए) और (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऋण संघटक हेतु (1000.00 करोड़ रुपए)।	Governments (a) For (i) Normal Central Assistance (Rs. 1500.00 crore), (ii) Additional Central Assistance for Other Projects (Rs. 500.00 crore) and (iii) Grant Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Rs. 1000.00 crore).	3,000.00	-	3000.00	
(ख) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऋण संघटक हेतु।	(b) For Loan Component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	1,500.00	-	1500.00	
गृह मंत्रालय 50 गृह मंत्रालय विवाचन फैसलों का भुगतान करने के लिए होने	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 50 Ministry of Home Affairs For meeting the expenditure for payment of		0.00	0.00	
वाले व्यय की पूर्ति हेतु। 51 मंत्रिमंडल अतिरिक्त भ्रमण सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (90.00	Arbitration Awards. 51 Cabinet For meeting additional tour expenses (Rs.	-	0.99	0.99	
करोड़ रुपए)।	90.00 crore).	-	74.00	74.00	
खान मंत्रालय (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में स्थापना, किराया दरें, और करों तथा अन्य व्ययों के अन्तर्गत निधियों की बढ़ोतरी हेतु। (ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के संसाधन अन्तराल को पाटना।	MINISTRY OF MINES 63 Ministry of Mines (a) For augmentation of funds under establishment, rent, rates and taxes and other expenses in respect of Geological Survey of India. (b) For bridging the gap in resources of Bharat Gold Mines Limited.	22.00	0.40	22.00 0.40	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
87 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रावधानों में बढ़ोतरी हेतु।	87 Ministry of Social Justice and Empowerment For augmentation of provision under Post Matric Scholarship Scheme.	200.00	-	200.00	
शहरी विकास मंत्रालय 99 शहरी विकास विभाग (क) राष्ट्रपति भवन में जीर्णोद्धार तथा मरम्मत कार्य और ऑडिटोरियम कार्य के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का निपटान।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 99 Department of Urban Development (a) For renovation and repair works in the Rashtrapati Bhavan and clearance of pending bills in respect of auditorium				
	work.	-	16.50	16.50	
(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना। (ग) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु गौण कर्ज के	(b) For providing Equity Capital in Delhi Metro Rail Corporation Limited.(c) For interest free loan as Subordinate Debt for acquisition of land to Delhi	100.00	-	100.00	
रूप में ब्याज मुक्त ऋण के लिए।	Metro Rail Corporation Limited.	42.00	-	42.00	
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	5,888.91	5,980.69	11,869.60	

		(करोड़ रुपए Rupees in Cro आयोजना आयोजना-भिन्न जो		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	जोड़ Total
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में 21,420.82 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तद्नरूपी बचतों द्वारा की जाती है। ये मदें निम्नलिखित हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 21,420.82 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय 2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग चुनिंदा 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा आईसीएआर संस्थानों में "शिक्षण तथा प्रदर्शन, प्रशिक्षकों तथा किसानों को प्रशिक्षण के जिरए आजीविका हेतु कृषि में जल की उत्पादकता बढ़ाने" के सम्बन्ध में योजना के कार्यान्वयन हेतु आधारभूत निधि के सृजन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।	MINISTRY OF AGRICULTURE 2 Department of Agricultural Research and Education To provide interest free loan to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for creating a Corpus Fund for implementing the scheme relating to the "Scaling up Water Productivity in Agriculture for Livelihoods through Teaching cum Demonstration, Training of Trainers and Farmers" in 32 selected State Agriculture Universities and ICAR Institutes.	96.00	-	96.00
नागर विमानन मंत्रालय 9. नागर विमानन मंत्रालय एअर इंडियन तथा इंडियन एअरलाइंस के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क को बट्टे खाते डालने हेतु।	 MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For writing off guarantee fee in respect of Air India and Indian Airlines. 	-	548.01	548.01
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 'दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम' में इक्विटी के रूप में निवेश करने हेतु।	12 Department of Industrial Policy and Promotion For making an investment in the form of equity in 'Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation' to implement the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project.	5.00	-	5.00
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 13 डाक विभाग बेंगलुरु कर्नाटक में स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण में विवाचन फैसले के कारण होने वाले भुगतान की पूर्ति के लिए।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts For meeting payment arising out of an Arbitration Award in construction of staff quarters at Bangalore, Karnataka.	0.17	-	0.17
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग चीनी के निर्यात लदान हेतु आन्तरिक परिवहन तथा मालभाड़ा प्रभारों की पुनः प्रतिपूर्ति हेतु।	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution For re-imbursement of internal transport and freight charges for export shipment of sugar.	-	120.00	120.00
संस्कृति मत्रालय 19 संस्कृति मंत्रालय गांधी शांति प्रतिष्ठान की आधारभूत निधि को सहायता अनुदान।	MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture For grants-in-aid to Corpus Fund of Gandhi Peace Foundation.	5.00	-	5.00

				रोड़ रुपए Rupees	
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त	मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	33 Payments to Financial Institutions			
	(क) ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम	(a) For creation of a corpus fund to be			
	आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र	operated by Life Insurance Corporation			
	सरकार को अपने हिस्से के प्रीमियम के भुगतान				
		of India as Fund Manager, for meeting			
	के संबंध में देयता की पूर्ति हेतु भारतीय जीवन	the liability of Central Government			
	बीमा निगम द्वारा फंड मैनेजर के रूप में संचालित	towards its share of premium payment			
	किए जाने वाले आधारभूत निधि के सृजन हेतु	for implementation of Aam Aadmi Bima			
	(1000.00 करोड़ रुपए) और (ख) आम आदमी	Yojana for rural landless households			
	बीमा योजना के लाभार्थियों के बच्चों की	(Rs. 1000.00 crore) and (b) For creation			
	छात्रवृत्तियों पर व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय	of a fund to be operated by Life			
	जीवन बीमा निगम द्वारा फंड मैनेजर के रूप में	Insurance Corporation of India as Fund			
	संचालित किए जाने वाले आधारभूत निधि के	Manager, for meeting the expenditure			
	सृजन हेतु (500 करोड़ रुपए)।	on scholarships to the children of			
	2 3 (, , ,	beneficiaries of Aam Aadmi Bima			
		Yojana (Rs. 500 crore).	_	1,500.00	1500.00
25	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को			1,500.00	1500.00
33	अन्तरण	Governments			
	12वें वित्त आयोग के पंचाट सहित ऋण माफी	For write off of loans to the State			
	योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के ऋण को	Governments under Debt Waiver Scheme			.=
	बट्टे खाते डालने के लिए।	under the 12th Finance Commission Award.	-	4,763.28	4763.28
स्वा	स्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
		WELFARE			
46	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	46 Department of Health and Family Welfare			
	(क) "'राष्ट्रीय वेक्टरवाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम"	(a) For expenditure relating to procurement			
	योजना के तहत औषधियों तथा उपस्करों	of drugs and equipments under the			
	की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय	scheme "National Vector Borne Disease			
	हेतु।	Control Programme".	280.49	_	280.49
	(ख) निम्नलिखित व्यय की पूर्ति हेतु (i) परिवार	(b) For meeting the expenditure (i) under	200.19		200.17
	कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	major works for Family Welfare			
	के संबंध में मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत	Training and Research Centre, Mumbai			
	(2.00 करोड़ रुपए), (ii) ग्रामीण स्वास्थ्य	(Rs. 2.00 crore), (ii) Rural Health			
	प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ के लिए मशीनरी	Training Centre, Najafgarh for			
	तथा उपस्कर (0.15 करोड़ रुपए) और मोटर	procurement of Machinery and			
	वाहन (0.15 करोड़ रुपए) की अधिप्राप्ति	Equipments (Rs. 0.15 crore) and Motor			
	हेतु,	Vehicles (Rs. 0.15 crore).	2.30	-	2.30
सच	ना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
		BROADCASTING			
58	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	58 Ministry of Information and			
	An > "ACm"	Broadcasting			
	प्रेस सूचना ब्यूरो के "मीडिया आउटरीच कार्यक्रम"	For meeting expenditure on 'Media Outreach	4.00		4.00
	पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु।	Programme' of Press Information Bureau.	4.92	-	4.92
श्रम	तथा रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND			
		EMPLOYMENT			
59	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	59 Ministry of Labour and Employment			
	24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 290 आईटीआई के	For providing interest free loan of upto			
	लिए सम्बद्ध आईटीआई की संस्था प्रबन्ध समिति	Rs. 2.50 crore per Industrial Training			
	के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	Institute(ITI) to Institute Management			
	(725.00 करोड़ रुपए) और पूर्वोत्तर राज्यों में 10	Committee of the concerned ITI for covering			
	11 P P 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Committee of the concerned III for covering			
		200 ITIg in 21 States/Union Torritories (D.			
	आईटीआई (25.00 करोड़ रुपए) को 2.50 करोड़	290 ITIs in 24 States/Union Territories (Rs.			
		290 ITIs in 24 States/Union Territories (Rs. 725.00 crore) and 10 ITIs in North Eastern States (Rs. 25.00 crore).	750.00		750.00

			(करोड़ रुपए Rupees in Cror आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	आयाजना-ाभन्- Non Plan	Total		
खान मंत्रालय (क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्सरचना योजना के एक भाग के रूप में संचित हानियों के समायोजन के लिए आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए अर्थात् 7.5 प्रतिशत अंसचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर को कम करके लिखना (180.73 करोड़ रुपए) और (ख) इक्विटी के अंकित मूल्य को कम करने के जिए (382.21 करोड़ रुपए) पूंजी की पुनर्सरचना पर इक्विटी को कम करके लिखना।	MINISTRY OF MINES 63 Ministry of Mines (a) For carrying out necessary accounting adjustments viz., write down of 7.5% non-cumulative redeemable preference share (Rs. 180.73 crore) and (b) write down of equity on restructuring of capital through reduction of face value of equity (Rs. 382.21 crore) against adjustment of accumulated losses as part of approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.	-	562.94	562.94		
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय 70 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों के लिए विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करना।	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 70 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated underrecoveries on account of sale of sensitive petroleum products.	_	11,256.92	11256.92		
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप- राष्ट्रपति का सचिवालय 74 लोक सभा संस्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT 74 Lok Sabha For meeting additional establishment related expenditure.	_	0.05	0.05		
सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES		••••			
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम - लघु उद्योग मंत्रालय) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क की माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने हेतु	86 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries) For carrying out accounting adjustments relating to waiver of guarantee fee in respect of National Small Industries Corporation Limited.	-	4.04	4.04		
इस्पात 90 इस्पात मंत्रालय मेकॉन लिमिटेड के सम्बन्ध में दांडिक गारंटी की माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने के लिए।	MINISTRY OF STEEL 90 Ministry of Steel For carrying out accounting adjustments relating to waiver of penal guarantee fee in respect of MECON Limited.	-	4.27	4.27		
कपड़ा मंत्रालय 91 कपड़ा मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की पुनर्सचना योजना के भाग के रूप में दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ब्याज माफी के सम्बन्ध में लेखा समायोजन करने हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES 91 Ministry of Textiles For carrying out accounting adjustments relating to waiver of interest as on 31.3.2001 as a part of restructuring plan of National Textiles Corporation of India Limited.	-	1,454.01	1454.01		

	-		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जनज 93	ातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 93 Ministry of Tribal Affairs For grants-in-aid to State Governments under the Scheme for Development of Primitive Tribal Groups.	18.42	-	18.42
-	विकास मंत्रालय लोक निर्माण कार्य (क) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय भवनों का निर्माण करने के लिए (30.00 करोड़ रुपए) और (ख) कार्यालय भवनों/संकाय छात्रावास/कार्यों परिसर का निर्माण तथा देश के विभिन्न स्थानों में केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए भूमि की खरीद हेतु (40.00 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 100 Public Works (a) For construction of office buildings of Comptroller and Auditor General of India at various places in the country (Rs. 30.00 crore) and (b) For construction of office buildings/faculty hostel/cargo complex and for purchase of land for Central Board of Excise and Customs/ Central Board of Direct Taxes at various places of the country (Rs. 40.00 crore).	-	45.00	45.00
जोड़	तकनीकी	Total Technical	1,162.30	20,258.52 21	1,420.82
; t	नीचे सूचीबद्ध की गयी मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रूपए का पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, मद के समक्ष दर्शाए गए व्यय की पूर्ति सम्बद्ध अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचत के पुनर्विनियोग से की जाएगी।	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेि	तेक पूरक अनुदान	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि ग	मंत्राल य	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2	कृषि तथा सहकारिता विभाग पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सम्बन्ध में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन (5.00 करोड़ रुपए); नारियल विकास बोर्ड (12.00 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय बांस मिशन (55.00 करोड़ रुपए), कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	 Department of Agriculture and Cooperation For Technology Mission on Horticulture for North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttrakhand (Rs. 5.00 crore); Coconut Development Board (Rs. 12.00 crore); and National Bamboo Mission (Rs. 55.00 crore). Department of Agricultural Research and 	72.00	-	72.00
	निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (क) तिमलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को कृषि अनुसंधान तथा मौजूदा ढांचागत सुविधाओं आदि को मजबूत करना (25.00 करोड़ रुपए), (ख) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर को जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि, पशु विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए (25.00 करोड़ रुपए) और (ग) 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों को किसानों तथा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और आईसीएआर द्वारा मॉनीटारिंग तथा मूल्यांकन (3.23 करोड़ रुपए)।	Education For Grants-in-aid to (a) Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore to strengthen research in agriculture and existing infrastructure facilities, etc (Rs. 25.00 crore), (b) Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar for initiating research programmes in cutting edge technologies in agriculture, animal sciences through biotechnology and nanotechnology (Rs. 25.00 crore) and (c) 32 State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) Institutes for training of farmers and trainers and for monitoring and evaluation by ICAR (Rs. 3.23 crore)	53 23		53 23

(Rs. 3.23 crore).

53.23

- 53.23

		(ক	in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
 पशुपालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग (क) व्यावसायिक दक्षता विकास के अन्तर्गत सतत 	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (a) (i) For Grants-in-aid to Veterinary Council			
पशु चिकित्सा शिक्षा कार्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान हेतु (0.90 करोड़ रुपए), (ii) खुरपका तथा	of India to undertake Continuing Veterinary Education under Professional Efficiency Development Scheme			
नुंहपका बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टीकों की खरीद हेतु (4.97 करोड़ रुपए),(iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन	(Rs. 0.90 crore), (ii) for purchase of vaccine under Foot and Mouth Disease			
परियोजना स्कीम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता को पूरा करने हेतु	Control Programme (Rs. 4.97 crore), (iii) To meet the requirement of Research Institute for Strengthening of Veterinary services under the Scheme of National			
(0.40 करोड़ रुपए)।	Project on Rinderpest Eradication (Rs. 0.40 crore).	6.27	-	6.27
(ख) बर्ड फ्लु फैलने की वजह से कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु कुक्कुट पालकों को दिनांक 31.3.2006 की स्थिति अनुसार उनकी बकाया मूल राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए एकबारगी 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता पर हुए अतिरिक्त	(b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the			
व्यय की पूर्ति हेतु। (ग) (i) सघन डेरी विकास कार्यान्वयन के	outbreak of Avian Flu. (c) (i) For Grants-in-aid to milk unions/	-	0.44	0.44
क्रियान्वयन के लिए दुग्ध यूनियनों/परिसंघों को सहायता अनुदान के लिए (7.76 करोड़ रुपए) (ii) सहकारिताओं को सहायता योजना के अन्तर्गत बचनबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए) और (iii) डेयरी/मुर्गीपालन उद्यम पूंजी कोष योजना के लिए (17.00 करोड़ रुपए)।	federations for implementation of Intensive Dairy Development programme (Rs. 7.76 crore), (ii) To meet committed liability under the scheme of Assistance to Cooperatives (Rs. 2.00 crore) and (iii) For Dairy/			
पर्रालाइ (१४.00 परितक १४५५)।	Poultry Venture Capital Fund Scheme (Rs. 17.00 crore).	26.76	-	26.76
परमाणु ऊर्जा विभाग 5. परमाणु ऊर्जा	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 5 Atomic Energy			
(क) अंतर्राष्ट्रीय लीनियर कोलिडर (आईएलसी) कार्यक्रम और सम्बद्द उन्नत ऐक्सेलेटर अनुसंधान और विकास में भागीदारी परियोजना के लिए टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान	(a) For additional Grants-in-aid to Tata Institute of Fundamental Research for the Project Participation in International Linear Colider (ILC) program and related Advanced Accelator Research	0.25		0.25
के लिए। (ख) भारी जल संयंत्र, मानुगुरु में आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए।	and Development. (b) For Construction of Housing Colony for Heavy Water Plant, Managery	0.25 7.30	-	0.25 7.30
(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्रों के अंतर्गत परियोजनाओं (i) जुल्स होरोविट्ज रिएक्टर में भारतीय भागीदारी (9.00 करोड़ रुपए) और (ii) रसायन अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान हेतु डीएई-युआईसीटी केन्द्र (10.45 करोड़ रुपऐ) के व्यय की पूर्ति के	Heavy Water Plant, Manuguru. (c) To meet expenditure for the projects under Bhabha Atomic Research Centre towards (i) Indian participation in Jules Horowitz Reactor (Rs. 9.00 crore) and (ii) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education and Research	7.30	-	7.30
लिए।	(Rs. 10.45 crore).	19.45	-	19.45
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय 11. वाणिज्य विभाग	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department of Commerce			
काली मिर्च निर्यात हेतु मसाला बोर्ड को सब्सिडी राशि का भुगतान करने के लिए	For payment of subsidy to Spice Board on export of pepper.	0.60	-	0.60

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 14. दूरसंचार विभाग भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद ।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 14 Department of Telecommunications For purchase of land for construction of office building for Telecom Regulatory Authority of India.	10.00	-	10.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 17. उपभोक्ता मामले विभाग (क) निम्नलिखित द्वारा दालें आयात करने पर हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए (i) एमएमटीसी लि. (1.00 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय राज्य व्यापार निगम (1.00 करोड़ रुपए.), (iii) पीईसी लिमिटेड (1.00 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड़ (1.00 करोड़ रुपए और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ताओं का परिसंघ (1.00 करोड़ रुपए)	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Consumer Affairs (a) For reimbursements of losses on the import of pulses by (i) MMTC Ltd (Rs. 1.00 crore), (ii) The State Trading Corporation of India Limited (Rs. 1.00 crore), (iii) PEC Limited (Rs. 1.00 crore), (iv) National Agricultural Co-operatives Marketing Federation of India Limited (Rs. 1.00 crore) and (v) National			
(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर माप- तोल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्य रुप से मशीनरी और उपस्कर की	Co-operative Consumers' Federation of India Limited (Rs. 1.00 crore). (b) For procurement of machinery and equipment centrally for strengthening of Weights and Measures Infrastructure	-	5.00	5.00
खरीद के लिए।	at States/Union Territories level.	13.91	-	13.91
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
(क) (i) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा स्वर्ण जयन्ती (2.50 करोड़ रुपए) और एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा 225वीँ वर्षगांठ समारोह के लिए अतिरिक्त व्यय (1.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। (ii) उदयपुर में सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र के अपने क्षेत्रीय केन्द्र भवन का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त धन मुहैया करने हेतु (1.50 करोड़ रुपए), (iii) बच्चों के लिए खंड़ा सहित 'बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना' योजना के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी किस्त मुहैया कराने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए (7.25 करोड़ रुपए) और (iv) नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुम्बई में लार्ज फार्मेट फिल्म प्राजेक्शन सिस्टम के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सहायता अनुवान; कोज़िकोड और लखनऊ में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों में निर्माण कार्य (2.19 करोड़ रुपए)।	(a) (i) For meeting additional expenditure for celebration of Golden Jubilee by National School of Drama (Rs. 2.50 crore) and Biocentennial Silver Jubilee by Asiatic Society, Kolkata (Rs. 1.25 crore), (ii) For additional fund to Centre for Cultural Resources and Training for the construction of its Regional Centre Building at Udaipur (Rs. 1.50 crore), (iii) For meeting additional expenditure for providing 2nd instalment for ongoing projects under the scheme 'Setting up of Multipurpose Cultural Complexes including those for children' (Rs. 7.25 crore) and (iv) Grants-in-aid to National Council of Science Museums for Large Format Film Projection System, Nehru Science Centre, Mumbai; construction work of Regional Science Centres, Kozhikode and Lucknow (Rs. 2.19 crore)	1.4.60		14 60
(ख) (i) लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती समारोह के एक भाग के रूप में इलाहाबाद जिले के मांडा गांव में पोलिटेक्निक के निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (3.00 करोड़ रुपए) और इंदौर जिले के सोल्सिंडा गांव में महिला	and Lucknow (Rs. 2.19 crore). (b) For (i) meeting additional expenditure on construction of a Polytechnic at Manda Village, Allahabad District (Rs. 3.00 crore) and a Women Polytechnic Institute at Solsinda Village, Indore District (Rs. 5.00 crore), as a part of Lal	14.69	-	14.69

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
पोलिटेक्निक संस्थान (5.00 करोड़ रुपए) के लिए और (ii) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को इसके कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृति लाभ तथा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।	Bahadur Shashtri Centenary Celebrations, and (ii) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for providing salary, retirement benefits and reimbursements of medical bills to its employees (Rs. 0.80 crore).	-	8.80	8.80
विदेश मंत्रालय 31. विदेश मंत्रालय विश्व मामलों के भारतीय परिषद को सहायता अनुदान हेतु	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs For Grants-in-aid to Indian Council of World Affairs.	-	1.00	1.00
वित्त मंत्रालय 32. आर्थिक कार्य विभाग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्राप्त अनुदान सहायता से कन्ट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क -II के लिए अम्ब्रेला सहायता परियोजना के अंतर्गत व्यय की पूर्ति के लिए।	MINISTRY OF FINANCE 32 Department of Economic Affairs For meeting the expenditure under Umbrella Support Project for Country Co-operation Framework-II executed with the grant assistance received from United Nations Development Programme.	-	0.97	0.97
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
(क) (i) मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड से डीडीटी प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय वेक्टर जिनत रोग नियंत्रण कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए (10.00 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की दिल्ली इकाई के भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवान्त लाभ प्रदान करने के लिए (4.07 करोड़ रुपए) और (ii) समेकित रोग निगरानी नियंत्रण कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत व्यय के लिए (23.00 करोड़ रुपए) (ख) इन योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान हेतु (ii) बंध्यकरण/रिकेनिलाइजेशन में प्रशिक्षण (0.23 करोड़ रुपए) और (iii) पुरुष भागीदारी (2.82 करोड़ रुपए) और (iii) प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य में अनुसंधान और अध्ययन कार्यकलाप (7.20 करोड़ रुपए)	WELFARE 46 Department of Health and Family Welfare (a) (i) For additional requirements under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" towards procurement of DDT from M/s Hindustan Insecticides Limited (Rs. 10.00 crore) and for terminal benefits to the erstwhile employees of Delhi Unit of Hindustan Insecticides Limited (Rs. 4.07 crore) and (ii) For expenditure under the scheme "Integrated Disease Surveillance Control Programme" (Rs. 23.00 crore). (b) For provision under the schemes (i) Training in Sterlisation/Recanilisation (Rs. 0.23 crore), (ii) Male Participation (Rs. 2.82 crore) and (iii) Research and Study activities in Reproductive and Child Health (Rs. 7.20 crore).	37.07 10.25	-	37.07 10.25
गृह मंत्रालय 52. पुलिस पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के विज्ञापन और प्रचार पर व्यय की पूर्ति के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 52 Police For meeting the expenditure on Advertising and Publicity of Bureau of Police Research and Development. MINISTRY OF HUMAN RESOURCE	-	1.00	1.00
56. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (क) (i) 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धति को 50:50 से 65:35 करने के लिए	DEVELOPMENT 56 Department of School Education and Literacy (a) For meeting (i) additional expenditure (Rs. 2070.00 crore) due to revision of the funding pattern between Centre and			

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	Total
संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय (2070.00 करोड़ रुपए), और (ii) राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- ii परियोजना के विस्तार हेतु अतिरिक्त व्यय (20.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए। (ख) "सर्व शिक्षा अभियान" (पूर्वोत्तर क्षेत्र) योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्धित को 50:50 से 90:10 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	States from 50:50 to 65:35 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" and (ii) the additional expenditure (Rs. 20.00 crore) for extension of District Primary Education Programme-II Project in Rajasthan. (b) For meeting additional expenditure due to revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 90:10 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" (North Eastern Region).	2,090.00	- -	2090.00
57. उच्चतर शिक्षा विभाग निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ती हेतु (क) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान" योजना के लिए मानदेय ओर छात्रवृत्ति में संशोधन करने के कारण (2.50 करोड़ रुपए) और (ख) "राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद" का विस्तार और योजना के अन्तर्गत किराए भी बढ़ी लागत (0.70 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (a) due to revision of honorarium and scholarship for the Scheme "Rashtriya Ved Vidya Pratisthan (Rs. 2.50 crore) and (b) on expansion of "National Council for Promotion of Sindhi Language" and increased cost of rental under the scheme (Rs. 0.70 crore).	3.20	-	3.20
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
58. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	58 Ministry of Information and Broadcasting			
प्रसार भारती को पूर्वोत्तर में हार्डवेयर की प्राप्ति और ट्रांसमीटरों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने हेतु।	For providing loan to Prasar Bharti for procurement of hardwares and erection of transmitters in North East.	47.50	-	47.50
भ्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
(सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन'' योजना के अन्तर्गत व्यय के लिए। (क) (i) केन्द्रीय स्तर पर प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रबंध तथा मूल्यांकन के लिए (5.00 करोड़ रुपए) तथा (ii) संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल रहित) को प्रबंधन और निगरानी के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)। (ख) प्रबंध और निगरानी के लिए पूर्वेत्तर राज्यों को सहायता अनुदान। (ग) प्रबंध और निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता अनुदान। (घ) प्रबंध निगरानी हेतु संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को सहायता अनुदान।	 59 Ministry of Labour and Employment For expenditure under the scheme" Upgradation of 1396 Industrial Training Institutes through Public Private Partnership": (a) (i) For management, capacity building and management and evaluation at central level (Rs. 5.00 crore) and (ii) Grants-in-aid to Union Territories (without legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01 crore). (b) Grants-in-aid to North Eastern States for management and monitoring. (c) Grants-in-aid to various States for management and monitoring. (d) Grants-in-aid to Union Territories (with legislature) for management and monitoring. 	5.01 0.10 4.90 0.01	- -	5.01 0.10 4.90
26 24	-	0.01	-	0.01
विधि और न्याय मंत्रालय 61 विधि और न्याय निम्न के लिए अनुदान सहायताः (क) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए विधि शिक्षा संबंधी नए कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 61 Law and Justice For Grants-in-aid to: (a) National Judicial Academy for meeting additional expenditure on new programmes relating to legal education.	_	5.75	5.75

			in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राज्य सरकारों को भारत सरकार के पारिवारिक न्यायालयों की अनावर्ती लागत संबंधी उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु।	(b) State Governments in the discharge of Government of India's liability towards non-recurring costs of Family Courts.	-	1.00	1.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
63 खान मंत्रालय हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रुप में ऋण को इक्विटी में बदलने संबंधी लेखा समायोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु।	63 Ministry of Mines For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of loan into equity, as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.	50.00	-	50.00
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 64 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कल्याण योजनाओं की निगरानी और बेसलाइन सर्वे संबंधी सूचनाओं के प्रसार हेतु मल्टी मीडिया प्रचार पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 64 Ministry of Minority Affairs For meeting additional expenditure on multi-media campaign for dissemination of information regarding welfare schemes for monitoring and base-line survey in the identified minority concentration districts.	14.98	-	14.98
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN			
66 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय जागरुकता अभियान के व्यय को पूरा करने हेतु।	AFFAIRS 66 Ministry of Overseas Indian Affairs For meeting expenditure on an Awareness Campaign.	-	14.06	14.06
पंचायती राज मंत्रालय 67 पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत ई-पंचायतों पर मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु।	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 67 Ministry of Panchayati Raj For implementation of Mission Mode Project on e-Panchayats under National e- Governance Plan.	10.00	-	10.00
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
70 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निधि में सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	 NATURAL GAS Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing grants-in-aid to Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Fund. 	-	2.00	2.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 78 ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण सङ्क विकास एजेन्सी द्वारा नाबार्ड की विशेष विंडों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिए गए ऋण की एवज में ब्याज के भुगतान हेतु।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 78 Department of Rural Development For payment of interest against the loan raised by National Rural Roads Development Agency from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under Special Window of NABARD.	85.75		95 75
80 पेयजल आपूर्ति विभाग गुजरात राज्य के मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (14.82 करोड़ रुपए) और मल व्ययन तथा स्वच्छता कार्यक्रम (70.00 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के	80 Department of Drinking Water Supply For meeting the additional requirement of the Rural Water Supply Programme (Rs. 14.82 crore) to be implemented in the Desert Development Programme Areas of the State of Gujarat and Sewerage and	63./3	-	85.75
लिए।	Sanitation Programme (Rs. 70.00 crore).	84.82	-	84.82

				<i>(क</i>	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदा	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म,	लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		NISTRY OF MICRO, SMALL AND CDIUM ENTERPRISES			
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम लघु उद्योग मंत्रालय)	86	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries)			
;	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लघु उद्योगों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।		For providing grants-in-aid to Union Territory Governments for collection of statistics of small scale industries.	0.70	-	0.70
सामार्ग	जिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND IPOWERMENT			
87	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		Ministry of Social Justice and Empowerment			
† - - -	निम्नलिखित को सहायता अनुदान - (क) दृष्टिहीन विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान को (3.80 करोड़ रुपए), (ख) आर्थो पेडियकली विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान (1.00 करोड़ रुपए), (ग) पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान को (2.00 करोड़ रुपए)। (घ) शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान		For grants-in-aid to (a) National Institute for Visually Handicapped (Rs. 3.80 crore), (b) National Institute for Orthopaedically Handicapped (Rs. 1.00 crore), (c) National Institute for Rehabilitation, Training and Research (Rs. 2.00 crore), (d) Institute for			
	(1.48 करोड़ रुपए), (ड) भारतीय पुनर्वास परिषद (1.70 करोड़ रुपए) और (च) दीन दयाल निःशक्त		the Physically Handicapped (Rs. 1.48 crore), (e) Rehabilitation Council of India (Rs. 1.70			
	पुनर्वास योजना (7.00 करोड़ रुपए) के लिए अनुदान सहायता हेतु।		crore) and (f) Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme (Rs. 7.00 crore).	16.98	-	16.98
-	ा मंत्रालय		NISTRY OF TEXTILES			
	कपड़ा मंत्रालय (क) समेकित कपड़ा पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श की परामर्शी सेवाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु।	91	Ministry of Textiles (a) For meeting the expenditure on consultancy services of the Project Management Consultant for establishment of Integrated Textiles Parks.	15.00	_	15.00
	(ख) (i) कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बंद हो चुकी इकाइयों के कपड़ा श्रमिकों के दावों (24.84 करोड़ रुपए) को निपटाने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए और (ii) सूरत में बाढ़ ग्रस्त कपड़ा उद्योगों को राहत और पैकेज पर व्यय की पूर्ति के लिए (3.31 करोड़ रुपए)।		(b) For (i) meeting the additional expenditure on settling the claims of textile workers of the closed units (Rs. 24.84 crore) under Textile Labour Rehabilitation Scheme and (ii) meeting the expenditure on relief and package to the flood affected textiles industries		20.15	20.15
	(ग) अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के संदर्भ में 31.3.2001 को इक्विटी के रूप में बकाया ऋण का रुपांतरण करने से संबंधित आवश्यक लेखा समायोजनों को पूरा करने		in Surat (Rs. 3.31 crore). (c) For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of outstanding loan as on 31.3.2001 into equity in respect of National Textiles Corporation of India Limited as part of	-	28.15	28.15
	हेतु।		approved restructuring plan.	-	2,542.79	2542.79
93	ातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय (क) जनजातीयों के लाभार्थ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अनुदान सहायता (0.04 करोड़ रुपए) और (ख) गणतंत्र दिवस समारोह, वन्य अधिकार नियमों इत्यादि के प्रचार पर व्यय की	MII 93	MISTRY OF TRIBAL AFFAIRS Ministry of Tribal Affairs For (a) grants-in-aid for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs. 0.04 crore) and (b) meeting expenditure on publicity for Republic Day celebrations,			
	पूर्ति (0.26 करोड़ रुपए) हेतु।		Forest Right rules, etc (Rs. 0.26 crore).	0.30	-	0.30

		(क	रोड़ रुपए Rupee	es in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items		आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total	
शहरी विकास मंत्रालय 99 शहरी विकास मंत्रालय (क) सुनेहरी बाग, नई दिल्ली में पुनर्विकास कार्य हेतु। (ख) आयकर विभाग के लिए जम्मू में जमीन खरीदने हेतु।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 99 Department of Urban Development (a) For re-development work at Sunehari Bagh, New Delhi. (b) For purchase of land in Jammu for Income Tax Department.	40.00	62.30	40.00 62.30	
जल संसाधन मंत्रालय 102 जल संसाधन मंत्रालय ''सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध नदी प्रबंधन कार्यकलाप और निर्माण कार्य'' योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF WATER RESOURCES 102 Ministry of Water Resources For providing grants-in-aid to State Governments under the Scheme "River Management Activities and Works related to Border Areas".	10.00	-	10.00	
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.32	0.13	0.45	
कुल जोड़	GRAND TOTAL	7051.53	26239.34	33290.87	
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	5888.91	5980.69	11869.60	
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1162.30	20258.52	21420.82	
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.32	0.13	0.45	

विषय सूची CONTENTS

				•	करोड़ रुपए	-	
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ट Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE		Revenue	Сарісаі	Total	
1. कृषि और सहकारिता		Department of Agriculture					
विभाग	स्वीकृत	and Cooperation	Voted	1067.95		1067.95	1-2
2. कृषि अनुसंधान और	c	2. Department of Agricultural					
शिक्षा विभाग	स्वीकृत	Research and Education	Voted	0.01	96.00	96.01	3-4
3. पशुपालन और डेरी कार्य		3. Department of Animal Husbandry,					
तथा मात्स्यकी	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.03		0.03	5
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
5. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	5. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	6
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	548.01		548.01	7
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	127.19		127.19	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	900.01	29.78	929.79	9-10
12. औद्योगिक नीति तथा		12. Department of Industrial Policy					
संवर्धन विभाग	स्वीकृत	and Promotion	Voted	•••	5.00	5.00	11
संचार और सूचना		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13. दूरसंचार विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged		0.17	0.17	12
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted		0.01	0.01	13
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND					
43	-	PUBLIC DISTRIBUTION	37.4.1	0.02		0.02	1.4
17. उपभोक्ता मामले विभाग18. खाद्य और सार्वजनिक	स्वीकृत	17. Department of Consumer Affairs	Voted	0.02	•••	0.02	14
वितरण विभाग	स्वीकृत	 Department of Food and Public Distribution 	Voted	278.86		278.86	15
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	34.96		34.96	16-17
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	100.01		100.01	18
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	0.01		0.01	19
33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	33. Payments to Financial Institutions	Voted		1500.00	1500.00	20

				(ব	रोड़ रुपए		crore)
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ट Page
	भारित	34. Appropriation-Interest Payments	Charged	4500.00		4500.00	21
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र		35. Transfers to State and Union	8				
सरकारों को अन्तरण	भारित	territory Governments	Charged		1500.00	1500.00	22
	स्वीकृत	•	Voted	7763.28		7763.28	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	C	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार		46. Department of Health					
कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Family Welfare	Voted	280.51	2.30	282.81	23-24
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
50. गृह मंत्रालय	भारित	50. Ministry of Home Affairs	Charged	0.99		0.99	25
51. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	51. Cabinet	Voted	74.00		74.00	26
52. पुलिस	स्वीकृत	52. Police	Voted	0.01		0.01	27
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
56. विद्यालयी शिक्षा और		56. Department of School					
साक्षरता विभाग	स्वीकृत	Education and Literacy	Voted	0.02		0.02	28
57. उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	57. Department of Higher Education	Voted	0.01		0.01	29
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		58. Ministry of Information					
a	स्वीकृत	and Broadcasting	Voted	4.92	0.01	4.93	30
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR					
		AND EMPLOYMENT					
59. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.04	750.00	750.04	31-32
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.02		0.02	33
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
63. खान मंत्रालय	स्वीकृत	63. Ministry of Mines	Voted	585.34	0.01	585.35	34
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
64. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01		0.01	35
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
66. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		66. Ministry of Overseas					
	स्वीकृत	Indian Affairs	Voted	0.01		0.01	36
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
67. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01		0.01	37
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ī	MINISTRY OF PETROLEUM					
70 halfann an marta		AND NATURAL GAS					
 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 	بيدا جد -	70. Ministry of Petroleum	Valad	11256.02		11256 02	20
गस मत्रालय	स्वीकृत	and Natural Gas	Voted	11256.93	•••	11256.93	38

				(व	रोड़ रुपए		crore)
				राजस्व	पूंजी		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा उ	भायोग	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNIO	ON				
और उप-राष्ट्रपति का सचिवा	लय	PUBLIC SERVICE COMMISSION					
		AND THE SECRETARIAT OF THE					
		VICE-PRESIDENT					
74. लोकसभा	भारित	74. Lok Sabha	Charged	0.05		0.05	39
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMEN	Т				
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	0.01		0.01	40
80. पेय जलापूर्ति विभाग	स्वीकृत	80. Department of Drinking Water Supply	Voted	0.01		0.01	41
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्राल	ग य	MINISTRY OF MICRO, SMALL					
		AND MEDIUM ENTERPRISES					
86. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम		86. Ministry of Micro, Small and					
उद्यम मंत्रालय		Medium Enterprises	Voted	4.05		4.05	42
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
		AND EMPOWERMENT					
87. सामाजिक न्याय और		87. Ministry of Social Justice					
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	and Empowerment	Voted	200.01		200.01	43
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
90. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Steel	Voted	4.27	•••	4.27	44
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
91. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Textiles	Voted	1454.03	0.01	1454.04	45
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
93. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	93. Ministry of Tribal Affairs	Charged	18.42		18.42	46
	स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
99. शहरी विकास विभाग	भारित	99. Department of Urban Development	Charged		16.50	16.50	47
	स्वीकृत	1	Voted		142.02	142.02	
100. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	100. Public Works	Voted		45.00	45.00	48
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
102. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	102. Ministry of Water Resources	Voted	0.01		0.01	49
कुल जोड़		GRAND TOTAL		29204.04	4086.83	33290.87	
	भारित		Charged	4519.46	1516.67	6036.13	
	स्वीकृत		Voted	24684.58	2570.16	27254.74	

कृषि और सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)। (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

				Rupees in Crore	s in Crore)		
			राजस्व	पूंजी	जोड़		
			Revenue	Capital	Total		
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित	Charged:		214.80	214.80		
	स्वीकृत	Voted:	5650.91	81.50	5732.41		
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित	Charged:	0.01		0.01		
	स्वीकृत	Voted:	800.01		800.01		
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	भारित	Charged:					
	स्वीकृत	Voted:	1067.95	•••	1067.95		
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)	7518.97	296.30	7815.18		
	भारित	Charged:	0.01	214.80	214.81		
	स्वीकृत	Voted:	7518.87	81.50	7600.37		

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401- फसल उत्पादन	स्वीकृत	2401-Crop Husbandary	Voted:	271.95 (कa)	200.00 (खb)	471.95
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	30.00 (गc)		30.00
3601- राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	565.00 (घd)	•••	565.00
3602- संघ राज्य क्षेत्रों को		3602-Grants-in-aid to Union				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	1.00 (se)		1.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	867.95	200.00	1067.95

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) के तहत प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित बीमा योजना कार्यान्वित करने के लिए (69.19 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (ii) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' के तहत अतिरिक्त निधियां (198.75 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (iii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए (4 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (iv) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए बागवानी संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (5.00 करोड़ रुपए); नारियल विकास बोर्ड (12.00 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय बांस मिशन (55 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) रबी 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरसों के मूल्य समर्थन अभियानों के तहत सरसों के बीजों की खरीद/बिक्री के संबंध में राष्ट्रीय कृषि

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (i) For implementation of Weather Based Insurance scheme on pilot basis, under Agriculture Insurance Company (AIC) (Rs. 69.19 crore). This will entail cash outgo.
- (ii) For providing additional funds under 'National Food Security Mission' (Rs. 198.75 crore). This will entail cash outgo.
- (iii) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture (Rs. 4 crore). This will entail cash outgo.
- (iv) For Technology Mission on Horticulture for North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttrakhand (Rs. 5.00 crore); Coconut Development Board (Rs. 12.00 crore); and National Bamboo Mission (Rs. 55 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.
- (b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)

- सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु कृषि के लिए राज्य आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत कृषि के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं को धनराशि मुहैया कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

- on procurement/disposal of mustard seeds under Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07. This will entail cash outgo.
- (c) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture. This will entail cash outgo.
- (d) For providing funds under implementation of Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture. This will entail cash outgo.
- (e) For providing funds under Additional Central Assistance Scheme to Union Territory Plans for Agriculture. This will entail cash outgo.

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)। (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत 2460.00 2460.00 Voted: इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 96.00 96.01 जोड़ (मूल और पुरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 2460.01 96.00 2556.01

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2415-Agricultural Research and Education	Voted:	0.01 ^{(क} a)		0.01
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 6402- मृदा एवं जल संरक्षण		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 6402-Loans for Soil and		0 (00 (74)		06.00
के लिए ऋण	स्वीकृत	Water Conservation	Voted:	96.00 (खb)		96.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	96.01	•••	96.01

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमानों में उन वसूलियों को शामिल नहीं किया जाता जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित

किया जाता है।

The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of Note:

expenditure.

CAPITAL SECTION

पूंजी भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 6402- मुद्रा एवं जल संरक्षण 6402-Loans for Soil and

के लिए ऋण Water Conservation (-) 96.00 96.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) कृषि अनुसंधान और वर्तमान आधारभूत ढांचे की सुविधाओं आदि को सुदृढ़ करने के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) जैव-प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि और पश् विज्ञानों की आधुनिक प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने और आईसीएआर द्वारा मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों

This supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore to strengthen research in agriculture and existing infrastructure facilities, etc. (Rs.25.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar for initiating research programmes in cutting edge technologies in agriculture and animal sciences through biotechnology and nanotechnology (Rs.25.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid to 32 State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) institutes

और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों को सहायता अनुदान (3.23 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) 32 चुनिंदा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में "शिक्षण एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षकों एवं किसानों के प्रशिक्षण के जिए आजीविकाओं हेतु कृषि में जल उत्पादकता" को बढ़ाने से संबंधित योजना को कार्यान्वित करने हेतु एक संचित निधि तैयार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करना (96.00 करोड़ रुपए)। इस व्यय की प्रतिपूर्ति भारत के लोक लेखे में सामाजिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निधि से वसूलियों द्वारा की जाएगी।

for training of farmers and trainers and for monitoring and evaluation by ICAR (Rs. 3.23 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) To provide interest free loan to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for creating a Corpus Fund to implement the Scheme relating to the "Scaling up Water Productivity in Agriculture for Livelihoods through Teaching cum Demonstration, Training of Trainers and Farmers" in 32 selected State Agriculture Universities and Indian Council of Agricultural Research (ICAR) institutes (Rs. 96.00 crore). The expenditure will be matched by recoveries from the Social and Infrastructure Development Fund in the Public Account of India.

पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1144.20	17.80	1162.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	1144.23	17.80	1162.03

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403-पशु पालन		2403- Animal Husbandry				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
2404-डेरी विकास		2404-Dairy Development				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए है:
- (क) (i) व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास योजना के तहत सतत पशुचिकित्सा शिक्षा शुरू करने के लिए पशु-चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान (0.09 करोड़ रुपए);
 - (ii) कुछ राज्यों में खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीके शुरु करने के लिए खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण टीके की खरीद के लिए (4.97 करोड़ रुपए)।
 - (iii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना स्कीम के तहत पशु-चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए (0.40 करोड़ रुपए)।
- (ख) दि. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कट पालकों की बकाया मूल राशि पर जो बर्ड फ्लु फैलने पर कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दी गई थी, एक वर्ष की अविध को लिए 4 प्रतिशत के एक बारगी ब्याज अनुदान पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.44 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) गहन डेरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दुग्ध यूनियनों/संघों को सहायता अनुदान (7.76 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सहकारी समितियों को सहायता योजना के तहत वचनबद्ध देनदारी को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए); और
 - (iii) डेरी/कुक्कट उद्यम पूंजी निधि योजना के लिए (17.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Veterinary Council of India to undertake Continuing Veterinary Education under Professional Efficiency Development Scheme (Rs. 0.90 Crore);
 - (ii) For purchase of Foot and Mouth Disease Control vaccine to undertake vaccination in some States under the scheme of Foot and Mouth Disease Control Programme (Rs. 4.97 Crore);
 - (iii) To meet the requirement of Research Institute for strengthening of Veterinary services under the scheme of National Project on Rinderpest Eradication (Rs. 0.40 Crore);
- (b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu (Rs. 0.44 Crore);
- (c) (i) Grants-in-aid to milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme (Rs. 7.76 Crore);
 - (ii) To meet committed liability under the scheme of Assistance to Cooperatives (Rs. 2.00 crore); and
 - (iii) For Dairy/Poultry Venture Capital Fund scheme (Rs. 17.00 crore).

As matching savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 5 of the Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	4.10		4.10
	स्वीकृत	Voted:	2457.45	2154.01	4611.46
I. पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:		17.41	17.41
	स्वीकृत	Voted:			
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2461.56	2171.44	4633.00
	भारित	Charged:	4.10	17.41	21.51
	स्वीकृत	Voted:	2457.46	2154.03	4611.49

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3401-परमाणु ऊर्जा		3401- Atomic Energy				
अनुसंघान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01 (কa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों		4861- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Atomic Energy Industries	Voted:	0.01 (खb)		0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान		5401- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ -पूंजी भाग		Total -Capital Section		0.02	•••	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

- (क) इन्टरनेशनल लीनीयर कोलिंडर (आईएलसी) कार्यक्रम तथा संबंधित उन्नत त्वरित अनुसंधान एवं विकास में परियोजना भागीदारी हेतु टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.25 करोड़)।
- (ख) हेवीवाटर प्लांट (मानुगुरू) हेतु हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण (7.30 करोड़ रुपए)।
- (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तहत निम्नलिखित संबंधित परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु (i) जूल्स होरोवित्ज रिएक्टर में भारत की भागीदारी (9.00 करोड़) (ii) रासायनिक इंजीनियरिंग शिक्षा एवं अनुसंधान डीएई-यूआईसीटी केन्द्र के लिए (10.45 करोड़)।

चूंकि अनुदान में उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Additional Grant in aid (Rs.0.25 crore) to Tata Institute of Fundamental Research for the project Participation in International Linear Colider (ILC) program and related Advanced Accelerator Research & Development.
- (b) Construction of Housing Colony (Rs.7.30 crore) for Heavy Water Plant (Manuguru).
- (c) To meet expenditure for the projects under Bhabha Atomic Research Centre towards (i) Indian participation in Jules Horowitz Reactor (Rs.9.00 crore) and (ii) DAE-UICT Centre for Chemical Engineering Education & Research (Rs.10.45 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और केन्द्र सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 5 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	475.60	142.00	617.60
I. पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	•••	0.01	0.01
		Cumplementary Estimate of				
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	548.01	•••	548.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
- 5	स्वीकृत		Voted:	1023.61	142.01	1165.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053- Civil Aviation	Voted:	•••	548.01	548.01

यह पूरक अनुदान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के संबंध में है। चूंकि इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for writing off guarantee गारंटी शुल्क (548.01 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालने के लिए मांगा गया fee (Rs.548.01 crore) in respect of Air India and Indian Airlines. This will not entail any cash outgo, as this will be matched by receipts.

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)। (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
-	स्वीकृत		Voted:	288.00	30.00	318.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	127.19	•••	127.19
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	415.19	30.00	445.19

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2803-कोयला एवं लिग्नाइट		2803-Coal and Lignite				
	स्वीकृत		Voted:	127.19	•••	127.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है (क) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (164.99 करोड़ रुपए) तथा (ख) कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना के विकास (44.99 करोड़ रुपए) के लिए मांगा गया है। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों का उपयोग करने के बाद इस पर 127.19 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure under the Schemes (a) Conservation and Safety in Coal Mines (Rs.164.99 crore) and (b) Development of Transport Infrastructure in Coalfields Areas (Rs.44.99 crore). After utilizing the savings within the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs.127.19 crore.

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2007-08 की पहले बैच की पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)। (See page 11 of the Demands for Grants for the year 2007-2008 and page 6 of the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

						Rupees in Crore)
			•	गजस्व	पूंजी	जोड़
			Re	evenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charge	d:	0.50		0.50
	स्वीकृत	Vote	d: 188	37.70	707.00	2594.70
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT				
	भारित	Charge	d:			
	स्वीकृत	Vote	d: 30	00.00	0.01	300.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vote	d: 90	00.01	29.78	929.79
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	308	88.21	736.79	3825.00
	भारित	Charge	d:	0.50		0.50
	स्वीकृत	Vote	d: 308	37.71	736.79	3824.50

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2407-बागान	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (7	कa)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और		3453-Foreign Trade and				
निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	Export Promotion	Voted:		900.00 (खb)	900.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	900.00	900.01
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5453-विदेशी व्यापार और निर्यात		5453-Capital Outlay on				
संवर्धन पर पूंजी परिव्यय		Foreign Trade and				
Ci	स्वीकृत	Export Promotion	Voted:	29.78 (3	лc)	29.78
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	29.78	•••	29.78
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	29.79	900.00	929.79

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) काली मिर्च के निर्यात के कारण मसाला बोर्ड को सब्सिडी राशि (0.60 करोड़ रुपए) का भुगतान करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) (i) सम निर्यात पर शुल्क की वापसी के दावों का निपटान और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति (600.00 करोड़ रुपए) करने के लिए और (ii) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों को 2 प्रतिशत ब्याज

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) for payment of subsidy to Spice Board (Rs.0.60 crore) on export of pepper. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) To settle (i) claims of Duty Drawback on Deemed Export and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty for Special Economic Zones (Rs.600.00 crore) and (ii) for providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks (Rs.300.00 crore) in respect

- अनुदान (300.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें 900.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ग) फुटवेयर डिजाइन विकास संस्थान, रायबरेली (उ.प्र.) के उन्नयन पर हुए व्यय (31.58 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत आंशिक बचतें उपलब्ध हैं,इसलिए इसमें 29.78 करोड़ रुपए का नकद परिव्यय होगा।
- of rupee export credit to the exporters. This will entail cash outgo of Rs.900.00 crore.
- (c) To meet expenditure (Rs.31.58 crore) for Upgradation of Footwear Design Development Institute, Rae Bareilly (UP). As part saving are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.29.78 crore.

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 7 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:			•••
	स्वीकृत	Voted:	613.46		613.46
I. पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:		5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	613.47	5.00	618.47
	भारित	Charged:			•••
	स्वीकृत	Voted:	613.47	5.00	618.47

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4875-अन्य उद्योगों पर	4875- Capital Outlay				
पूंजी परिव्यय	on Other Industries	Voted:	5.00	•••	5.00

इस पूरक अनुदान की मांग दिल्ली-मुंबई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर करने के लिए की गयी है।

The supplementary grant is sought for an investment of Rs.5 प्रॉजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए "दिल्ली-मुंबई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर crore in the form of equity in 'Delhi Mumbai Industrial Corridor डवलपमेंट कॉरपोरेशन" में इक्विटी के रूप में 5 करोड़ रुपए का निवेश Development Corporation' to implement the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project. As savings are available in the Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought.

डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत	Voted:	7237.29	232.22	7469.51
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:		0.17	0.17
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	7237.39	232.39	7469.78
	भारित	Charged:	0.10	0.17	0.27
	स्वीकृत	Voted:	7237.29	232.22	7469.51

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर	5201-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Postal Services				
	भारित	Charged:	0.17		0.17

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता बेंगलुरु व कर्नाटक में स्टाफ क्वाटर्स के निर्माण में विवाचन फैसले की वजह से भुगतान को पूरा करने के लिए है। चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नगद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is sought towards meeting payment arising out of an Arbitration Award in construction of 'staff quarters' at Bangalore, Karnataka. As matching savings are available under Capital voted section of the grant, this supplementary does not entail cash outgo.

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)। (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 8 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: Voted: 5445.00 195.00 5640.00 स्वीकृत I. पूरक अनुदानः **SUPPLEMENTARY GRANT:** भारित Charged: 0.08 0.08 स्वीकृत Voted: 377.00 352.00 729.00 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: 0.01 स्वीकृत 0.01 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** 5822.08 547.01 6369.09 भारित 0.080.08 Charged:

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

Voted:

5822.00

547.01

6369.01

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5275- Capital Outlay on other Communication Services	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लिए कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करने के लिए है (10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

स्वीकृत

The supplementary grant is required for purchase of land for construction of office building for Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) (Rs.10 crore). As matching savings are available in the Capital Section of the Grant, a token supplementary is sought.

उपभोक्ता मामले विभाग DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)। (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		revenue	Сирии	10001
	स्वीकृत		Voted:	235.74	34.50	270.24
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	mentary)			
•	स्वीकृत		Voted:	235.76	34.50	270.26

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3456-नागरिक आपूर्ति		3456-Civil Supplies				
	स्वीकृत		Voted:		0.01 (कa)	0.01
3475-अन्य सामान्य		3475-Other General				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है :-

- The supplementary grant is sought for the following purposes:-
- (क) खनिज तथा धात्विक व्यापार निगम लि. (1 करोड़ रुपए), भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (1 करोड़ रुपए), पीईसी लि. (1 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (1 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (1 करोड़ रुपए) को दालों के आयात पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए।
- (ख) मशीनरी तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति (13.91 करोड़ रुपए) जो मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर बाट तथा माप की आधारभृत संरचना की मजबूती के लिए है।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।
- (a) for reimbursement of losses on import of pulses by MMTC Ltd. (Rs. 1 crore), The State Trading Corporation of India Ltd. (Rs. 1 crore), PEC Ltd. (Rs. 1 crore), National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (Rs. 1 crore) and National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd. (Rs. 1 crore).
- (b) for procurement of machinery and equipment (Rs. 13.91 crore) centrally for strengthening of Weights and Measures Infrastructure at States/Union Territories level.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों के पहले बैंच की पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 9 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		•	
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	26115.00	376.20	26491.20
पूरक अनुदान :	C	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.54		0.54
	स्वीकृत	Voted:	300.00		300.00
इस समय आवश्यक रकम	C	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	278.86		278.86
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)	26694.40	376.20	27070.60
	भारित	Charged:	0.54		0.54
	स्वीकृत	Voted:	26693.86	376.20	27070.06
		II ह्या एक अनुसन का नियम नियमितन प	प्राच्या भीर्ष के अन्तर्भन	िक्का जामा	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भंडारण और		2408-Food, Storage and				
भांडागार	स्वीकृत	Warehousing	Voted:		278.86	278.86

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं है जिन्हें व्यय को घटाकर समायोजित किया गया है : **Note:** The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण और भांडागार REVENUE SECTION
MAJOR HEAD
2408-Food, Storage and
Warehousing

The supplementary grant is sought for the following urposes:-

(-) 120.00

(-) 120.00

(क) दिनांक 19.04.2007 को या बाद में चीनी के निर्यात लदान के लिए आन्तरिक परिवहन और मालभाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति (120.00 करोड़ रुपए) चूंकि प्रस्तावित व्यय की पूर्ति चीनी विकास कोष द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :-

- (ख) वर्ष 2005-06 से 2007-08 के वर्षों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए सहकारी एवं शहरी सहकारी बैंक को ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु (158.86 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- purposes:
 (a) Re-imbursement of internal transport and freight charges
 - for export shipment of sugar on or after 19.4.2007 (Rs. 120.00 crore). As this will be met from Sugar Development Fund, there will be no cash outgo.
 - (b) Providing interest subvention to Cooperative and Urban Cooperative Bank through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the years 2005-06 to 2007-08 (Rs. 158.86 crore). This will entail cash outgo.

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)। (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 10 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	882.61	50.00	932.61
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	70.02	•••	70.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	34.96	•••	34.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ıry)			
	स्वीकृत		Voted:	987.59	50.00	1037.59

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति		2205-Art and Culture				
	स्वीकृत		Voted:	5.01 (কa)	29.95 (खb)	34.96
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	5.01	29.95	34.96

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2205-कला एवं संस्कृति 2205-Art and Culture

(-)5.00 ... (-)5.00

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु की गयी है:

- (क) (i) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने स्वर्ण जयंती समारोहों पर अतिरिक्त व्यय (2.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
 - (ii) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा 225वीं वर्षगांठ समारोह पर अतिरिक्त व्यय (1.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
 - (iii) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र को उदयपुर में अपने क्षेत्रीय केन्द्र भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि (1.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध करने हेतु।
 - (iv) ''बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों जिसमें बालकों के लिए भी व्यवस्था शामिल है, की स्थापना'' से सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी किश्त की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त व्यय (7.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति करने हेत्।
 - (v) लार्ज फार्मेट फिल्म प्रोजेक्शन सिस्टम हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेहरु विज्ञान केन्द्र, मुम्बई को सहायता

The supplementary grants are sought for the following urposes:

- (a) (i) For meeting additional expenditure for celebration of its Golden Jubilee by National School of Drama (Rs.2.50 crore).
 - (ii) For meeting additional expenditure for celebration of its Bicentennial Silver Jubilee by Asiatic Society, Kolkata (Rs.1.25 crore).
 - (iii) Additional fund to Centre for Cultural Resources and Training for construction of its Regional Centre Building at Udaipur (Rs.1.50 crore).
 - (iv) For meeting additional expenditure for providing 2nd instalment for ongoing projects under the scheme 'Setting up of Multipurpose Cultural Complexes including those for children' (Rs.7.25 crore).
 - (v) Grants-in-aid to National Council of Science Museums for Large Format Film Projection System,

अनुदान; क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोजीकोट तथा लखनऊ का निर्माण कार्य (2.19 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मागं की गयी है।

> (vi) गांधी शांति फाउंडेशन की आधारभूत निधि को सहायता अनुदान (5.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि प्रस्तावित व्यय को भारतीय लोक लेखे में धारित ''सामाजिक तथा ढांचागत विकास कोष'' से पूरा किया जाएगा, इसलिए को कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) कुका शहीद स्मारक, मलेरकोटला, पंजाब को सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ समारोह के आयोजन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/घटनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु कनार्टक सरकार द्वारा टीपू सुल्तान से सम्बद्ध समारोह का आयोजन; गीत और नाट्य प्रभाग के कार्यक्रम; सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'तात्या' फीचर फिल्म का निर्माण; संगीत नाटक अकादमी के कार्यक्रम; जलियांवाला बाग समारोह; जवाहर लाल नेहरु विश्व विद्यालय में शहीद भगत सिंह पीठ की स्थापना; और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय में बहादुर शाह जफर पीठ की स्थापना (28.94 करोड़ रुपए)।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

- (iii) लाल बहादुर जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के भाग के रूप में मांडा गांव, जिला-इलाहाबाद में पोलिटेक्निक के निर्माण (3.00 करोड़ रुपए) और गांव; सोलिसन्दा, जिलाः इंदौर में महिला पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना (5.00 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (iv) नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृति लाभ तथा चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करने हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है। Nehru Science Centre, Mumbai; construction work of Regional Science Centres, Kozhikode and Lucknow (Rs.2.19 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(vi) Grants-in-aid to Corpus Fund of Gandhi Peace Foundation (Rs.5.00 crore).

Since the proposed expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

- (b) (i) Grants-in-aid to Kuka Martyrs Memorial, Mallerkotla, Punjab (Rs.1.00 crore).
 - (ii) For meeting additional expenditure for the following programmes/events relating to Commemoration of 150th Anniversary of first War of Independence, 1857:- Organizing function on Tipu Sultan by Government of Karnataka; Programmes of Song & Drama Division; Production of a feature film 'Tatya' by Ministry of Information & Broadcasting; Programmes of Sangeet Natak Academi; Function at Jallianwala Bagh; Setting up a Chair on Shaheed Bhagat Singh at Jawaharlal Nehru University; and a Chair on Bahadurshah Zafar at Indira Gandhi National Open University (Rs.28.94 crore).

This will entail a net cash outgo.

- (iii) For meeting additional expenditure for construction of a Polytechnic at Manda Village, District: Allahabad (Rs.3.00 crore) and a Women Polytechnic Institute at Village: Solsinda, District: Indore (Rs.5.00 crore) as a part of Lal Bahadur Shastri Centenary Celebrations.
- (iv) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for providing salary, retirement benefits and reimbursement of medical bills to its employees (Rs.0.80 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)। (See page 31 of the Demands for Grants of Cental Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	3674.38	759.22	4433.60
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	100.01		100.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	3774.39	759.22	4533.61

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2601-विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	2061- External Affairs	Voted:	•••	100.01	100.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

- (क) विशेष राजनयिक व्यय (100.00 करोड़ रुपए) के लिए। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय विश्व मामले परिषद के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for following purposes:-

- (a) For Special Diplomatic Expenditure (Rs.100.00 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) For Grants-in-Aid to Indian Council of World Affairs (Rs.1.00 crore). Since savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)। (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 16 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	3486.23	455.20	3941.43
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT				
	स्वीकृत		Voted:	•••	15.00	15.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	3486.24	470.20	3956.44

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य		2075-Miscellaneous Ge	eneral			
सेवाएँ	स्वीकृत	Services	Voted:		0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से प्राप्त अनुदान सहायता से निष्पादित कंट्री कॉऑपरेशन फ्रेमवर्क- II की अम्ब्रेला सहायता परियोजना के तहत व्यय (0.97 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to meet the expenditure under Umbrella Support Project for Country Co-operation Framework-II (Rs.0.97 crore) executed with Grant received from United Nations Development Programme(UNDP). As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

वित्तीय संस्थानों को भुगतान PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)। (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 17 of the First Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	5723.81	40353.76	46077.57
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1.85		1.85
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	•••	1500.00	1500.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	5725.66	41853.76	47579.42

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयाजना	आयाजनानमन्न	ডাড়
			Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक	7465-Loans for General Financial				
संस्थाओं के लिए ऋण स्वीकृत	and Trading Institutions	Voted:	•••	1500.00	1500.00

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

मुख्य शीर्ष

7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण **MAJOR HEAD**

7465-Loans for General Financial and Trading Institutions

इस पुरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गई है:

- (i) ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रीमियम भुगतान में केन्द्र सरकार के हिस्से की देनदारी को पूरा करने के लिए निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित किए जाने के लिए एक संचित निधि (1000 करोड़ रुपए) का सृजन करने के लिए। इस व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे में रखी गई 'सामाजिक और आधारभूत ढांचा विकास निधि' से की जाने वाली वसूलियों द्वारा की जाएगी।
- (ii) आम आदमी बीमा योजना के लाभानुभोगियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने पर हुए खर्च को पूरा करने हेतु निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रचालित किए जाने वाली निधि (500 करोड़ रुपए) के सृजन के लिए। इस व्यय की पूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भारत सरकार को अदा किए गए मूल्यांकन अधिशेष के सरकार के हिस्से की प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(-) 1000.00

(-) 1000.00

- (i) For creation of a corpus fund (Rs.1000 crore) to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the liability of Central Government towards its share of premium payment for implementation of Aam Aadmi Bima Yajana (AABY) for rural landless households. The expenditure will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Accounts of India.
- (ii) For creation of a fund (Rs.500 crores) to be operated by Life Insurance Corporation of India as Fund Manager, for meeting the expenditure on scholarships to the children of beneficiaries of Aam Aadmi Bima Yojana (AABY). The expenditure will be matched by receipts of Government's share of valuation surplus paid by Life Insurance Corporation of India to Government of India.

संख्या NO.34 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज संदाय INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)। (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	163994.93		163994.93
	स्वीकृत	Voted:			
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	4500.00		4500.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	168494.93	•••	168494.93
	भारित	Charged:	168494.93		168494.93
	स्वीकृत	Voted:	···		

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2049-Interest Payments				
	भारित	Charged:		4500.00	4500.00

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता 'बाजार स्थिरीकरण योजना' के तहत ब्याज की देनदारियों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

इसमे निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet additional expenditure on account of interest liabilities under 'Market Stabilisation Scheme'.

This will entail net cash outgo.

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और केन्द्र सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पुरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

				(करोड़ रुपए)	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	30087.50	4286.50	34374.00
	स्वीकृत	Voted:	37574.20		37574.20
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:		1000.00	1000.00
	स्वीकृत	Voted:	300.00		300.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	•••	1500.00	1500.00
	स्वीकृत	Voted:	7763.28		7763.28
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	75724.98	6786.50	82511.48
	भारित	Charged:	30087.50	6786.50	36874.00
	स्वीकृत	Voted:	45637.48		45637.48
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम	नलिखित मुख्य शीर्षों के	अन्तर्गत दिखाया	जाएगाः

- II. This Supplementary grant/appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		. 		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075- विविध सामान्य		2075-Miscellaneous Genera	1			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		4763.28 (कa)	4763.28
3601- राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	3000.00 (खb)		3000.00
जोड़ (राजस्व अनुभाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	3000.00	4763.28	7763.28
पूंजी भाग	-	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
7601- राज्य सरकारों को		7601-Loans and Advances				
ऋण एवं अग्रिम	भारित	to State Governments	Charged:	1500.00 (गc)		1500.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		4500.00	4763.28	9263.28
	भारित		Charged:	1500.00		1500.00
	स्वीकृत		Voted:	3000.00	4763.28	7763.28

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता बारहवें वित्त आयोग के पंचाट के तहत ऋण माफी योजना के अधीन राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए है। इनकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए (1500.00 करोड़ रुपए);
 - (ii) अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए (500.00 करोड़ रुपए);
 - (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान घटक के लिए (ईएपी) [1000.00 करोड़ रुपए]

उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

सहायता उपलब्ध कराने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- For writing off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award. These will be matched by receipts, and hence will not entail any cash outgo.
- (b) (i) For Normal Central Assistance (Rs. 1500.00 crore);
 - (ii) For Additional Central Assistance for other Projects (Rs. 500.00 crore);
 - (iii) For Grant component under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs) [Rs.1000.00 crore].

The above will entail cash outgo.

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय (c) For providing Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs). This will entail cash outgo.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)। (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 20 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	16270.63	725.59	16996.22
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	37.00	37.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	280.51	2.30	282.81
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)	16551.15	764.89	17316.04

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा		2210-Medical and Public				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	280.50 (कa)		280.50
2211-परिवार कल्याण		2211-Family Welfare				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	280.51	•••	280.51
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4211-परिवार कल्याण		4211- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Family Welfare	Voted:	2.30 (गc)		2.30
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section	Voted:	2.30	•••	2.30
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	282.81	•••	282.81

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

(क) (i) औषधियों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु प्रावधान वस्तु शीर्ष - ''मशीनरी तथा उपस्कर'' के तहत पूंजी भाग मु. शी. 4210 के अन्तर्गत रखा गया था। अब इस प्रावधान को ''राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत वस्तु शीर्ष ''आपूर्ति तथा सामग्री'' के तहत राजस्व भाग के अधीन रखा जाएगा (280.49 करोड़ रुपए)।

चूंकि पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ii) ''राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (i) डीडीटी की आपूर्ति हेतु हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड को भुगतान (10.00 करोड़ रुपए) करने हेतु;(ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की दिल्ली इकाई के तत्कालीन कर्मचारियों को अन्तिम लाभों का भुगतान (4.07 करोड़ रुपए)।
- (iii) ''एकीकृत बीमारी निगरानी नियंत्रण कार्यक्रम'' के लिए प्रावधानों (23.00 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) (i) The provision for procurement of drugs & equipments was kept under Capital Section MH 4210 under the Object Head - "Machinery & Equipment". Now the same is to be kept under Revenue Section under Object Head- "Supplies & Materials" under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" (Rs.280.49 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section, there will be no cash outgo.

- (ii) For additional requirements under the scheme "National Vector Borne Disease Control Programme" (i) For making the payment to Hindustan Insecticides Limited for supply of DDT (Rs. 10.00 crore); (ii) Payment of terminal benefits to the erstwhile employees of Delhi Unit of Hindustan Insecticides Limited (Rs.4.07 crore)
- (iii) Provisions for "Integrated Disease Surveillance Control Programme", is required to be made available to various Object Heads (Rs.23.00 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्ग बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

- (ख) (i) ''नशबंदी/रिकैनलाइजेशन में प्रशिक्षण'' योजना के लिए प्रावधानों (0.23 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
 - (ii) ''पुरुष भागीदारी'' योजना के तहत प्रावधानों (2.82 करोड़ रुपए) को विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
 - (iii) ''प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य में अनुसंधान और अध्ययन गतिविधियों'' से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत प्रावधानों (7.20 करोड़ रुपए) को विभिन्न शीर्षों के तहत उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक अनुदान की मांग की गयी है।

(ग) विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत प्रावधान राजस्व भाग से किया गया (i) मुख्य निर्माण कार्यों के अन्तर्गत परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई (2.00 करोड़ रुपए) (ii) मशीनरी तथा उपस्कर(0.15 करोड़ रुपए) और मोटर वाहन (0.15 करोड़ रुपए) के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़। यह पूरक अनुदान पूंजी भाग को राशि के अन्तरण के लिए है।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा। As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Provisions under the scheme "Training in Sterilization/Recanalization" is required to be made available to various Object Heads (Rs.0.23 crore).
 - (ii) Provisions under the scheme "Male Participation" is required to be made available to various Object Heads (Rs.2.82 crore).
 - (iii) Provisions under the scheme "Research & Study activities in Reproductive & Child Health" is required to be made available to various Object Heads (Rs.7.20 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(c) The provision under various Object Heads (i) Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai, under Major Works (Rs.2.00 crore) (ii) Rural Health Training Centre, Najafgarh under Machinery & Equipments (Rs.0.15 crore) and Motor Vehicles (Rs.0.15 crore) were provided in the Revenue Section. The Supplementary Demand is for transferring the amount to the Capital Section.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

				(करोड़ रुपए)	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.05		0.05
	स्वीकृत	Voted:	765.77	70.68	836.45
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	भारित	Charged:	0.05		0.05
	स्वीकृत	Voted:	18.00		18.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.99		0.99
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	784.86	70.68	855.54
	भारित	Charged:	1.09		1.09
	स्वीकृत	Voted:	783.77	70.68	854.45

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं		REVENUE SECT MAJOR HEAD 2070-Other Admin				
	भारित	Services	Charged:		0.99	0.99

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता विवाचन फैसलों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting the expenditure on payment of Arbitration Awards. This will entail cash outgo.

मंत्रिमण्डल CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)। (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I.	. ORIGINAL GRANT:			
2	गरित	Charged:	0.10		0.10
र्स्व	ोकृत	Voted:	205.27	33.36	238.63
इस समय आवश्यक रकम	S	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	tl	he amount now required:			
र्च	ोकृत	Voted:	74.00		74.00
जोड़ (मूल और पूरक)	T	Total (Original plus Supplementary)	279.37	33.36	312.73
2	गरित	Charged:	0.10		0.10
र्स्व	ोकृत	Voted:	279.27	33.36	312.63

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2013-मंत्रिपरिषद		2013-Council of Ministers				
	स्वीकृत		Voted:		74.00	74.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	74.00	74.00

इस पूरक अनुदान (90.00 करोड़ रुपए) की आवश्यकता दौरे पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत (16.00 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक अनुदान पर निवल व्यय 74.00 करोड़ रुपए होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional tour expenses (Rs.90.00 crore). Taking into account the savings available (Rs.16.00 crore) within the same Section of the Grant, the cash outgo will be Rs.74.00 crore.

पुलिस POLICI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)। (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
-	भारित	Charged:	2.94	13.20	16.14
	स्वीकृत	Voted:	14469.55	4529.81	18999.36
पूरक अनुदान		SUPPLYMENTARY GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	120.00	81.10	201.10
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	14592.50	4624.11	19216.61
	भारित	Charged:	2.94	13.20	16.14
	स्वीकृत	Voted:	14589.56	4610.91	19200.47

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के विज्ञापन और प्रचार के व्यय (1.00 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए अपेक्षित है।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for meeting expenditure on Advertising and Publicity of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) (Rs.1.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)। (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 27 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	33535.22	•••	33535.22
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	33535.25	•••	33535.25

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा		2202-General Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (क a)		0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

- (क) (i) ''सर्व शिक्षा अभियान'' के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्दति को 50:50 से 65:35 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (2070.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राजस्थान में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-॥ परियोजना का विस्तार करने के कारण अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए (20.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) पूर्वोत्तर-राज्यों में ''सर्व शिक्षा अभियान'' के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधिकरण की पद्दित को 50:50 से 90:10 करने के लिए संशोधित किए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (230.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गये हैं। The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) For meeting additional expenditure due to the revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 65:35 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" (Rs.2070.00 crore).
 - (ii) For meeting the additional expenditure on extension of District Primary Education Programme-II Project in Rajasthan (Rs.20.00 Crore).
- (b) For meeting additional expenditure due to the revision of the funding pattern between Centre and States from 50:50 to 90:10 under the scheme "Sarva Shiksha Abhiyan" in the North Eastern States (Rs.230.00 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, token Supplementaries are sought.

उच्चत्तर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 28 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

	-			(करोड़ रुपए l	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	9208.50	1.00	9209.50
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.05		0.05
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	9208.56	1.00	9209.56
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	•		

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा		2202-General Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है:

- (i) "राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान" योजना के लिए मानदेय और छात्रवृत्ति में संशोधन करने के कारण अतिरिक्त व्यय (2.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ii) "राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद" योजना के तहत परिषद के विस्तार तथा किराये की बढ़ी लागत पर अतिरिक्त व्यय (0.70 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) For meeting additional expenditure due to revision of honorarium and scholarship for the Scheme "Rashtriya Ved Vidya Pratishtan (Rs. 2.50 crore).
- (ii) For meeting additional expenditure on expansion of "National Council for Promotion of Sindhi Language" and increased cost of rental under the scheme (Rs. 0.70 crore).

As matching savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)। (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत	Voted:	1391.76	290.12	1681.88
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	4.92	0.01	4.93
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1396.71	290.13	1686.84
	भारित	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत	Voted:	1396.68	290.13	1686.81

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 Ian	140II-1 Ian	Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220-सूचना तथा		2220-Information and				
प्रचार		Publicity	Voted	4.92 (कa)		4.92
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के		6552-Loans for North				
लिए ऋण		Eastern Areas	Voted	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		4.93	•••	4.93
	भारित		Charged:			
	स्वीकृत		Voted:	4.93		4.93

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु की गयी है :

- (क) प्रेस सूचना ब्यूरो के 'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम' पर व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं
- (ख) पूर्वोत्तर में हार्डवेयर की अधिप्राप्ति और ट्रांसमीटरों का निर्माण हेतु प्रसार भारती को (47.50 करोड़ रुपए) ऋण उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) For meeting expenditure on 'Media Outreach Programme' of Press Information Bureau. As matching savings are available under Capital Section of the grant, this supplementary will not entail cash outgo.
- (b) For providing loans to Prasar Bharati (Rs.47.50 crore) for procurement of hardwares and erection of transmitters in North East. As savings are available in the Capital Section of the grant, a token supplementary is sought.

श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)। (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

			(करोड़ रुपए Rupees in C	
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत	Voted:	1890.28	6.97	1897.25
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	235.90		235.90
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.04	750.00	750.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2126.24	756.97	2883.21
भारित	Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत	Voted:	2126.22	756.97	2883.19

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 ian	ron-ran	10001
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230- श्रम और रोजगार		2230-Labour and Employmen	t			
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
3601- राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01 (गट)		0.01
3602- संघ राज्य की सरकारों		3602-Grants-in-aid to Union				
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (ਬd)		0.01
जोड़ (राजस्व अनुभाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	0.04	•••	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6250- अन्य सामाजिक		6250-Loans for other				
सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत	Social Services	Voted:	725.00 (ਵe)		725.00
6552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के		6552-Loans for North				
लिए ऋण	स्वीकृत	Eastern Areas	Voted:	25.00 (चf)	•••	25.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	750.00	•••	750.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	750.04	•••	750.04

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं है, जिन्हें व्यय को घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimate do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

 पूंजी भाग
 CAPITAL SECTION

 मुख्य शीर्ष
 MAJOR HEAD

 6250- अन्य सामाजिक
 6250-Loans for other

 सेवाओं के लिए ऋण
 Social Services

l Services (-) 750.00 ... (-) 750.00

ये पूरक अनुदान "सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का दर्जा बढ़ाने" की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (क) (i) केन्द्रीय स्तर पर प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिए (5.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा रहित) को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।
- (ख) पूर्वोत्तर राज्यों को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)।
- (ग) विभिन्न राज्यों को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (4.90 करोड़ रुपए)।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा-सिहत) को प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांग की गयी है।

(ड और च):24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 290 आईटीआई को कवर करने के लिए सम्बन्धित आईटीआई की संस्था प्रबंधन समिति (आईएमसी) के लिए प्रत्येक आईटीआई को 2.50 करोड़ रुपए तक और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 आईटीआई (25.00 करोड़ रुपए) को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु (725.00 करोड़ रुपए)। यह प्रस्तावित व्यय भारतीय लोक लेखा में धारित 'सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष' से वसूलियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

The supplementary grants are required for the following purposes under the scheme "Upgradation of 1396 Industrial Training Institutes (ITIs) through Public Private Partnership":

- (a) (i) For management, capacity building and management and evaluation at central level (Rs. 5.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Union Territories (without legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01crore).
- (b) Grants-in-aid to North Eastern States for management and monitoring (Rs. 0.10 crore).
- (c) Grants-in-aid to various States for management and monitoring (Rs. 4.90 crore).
- (d) Grants-in-aid to Union Territories (with legislature) for management and monitoring (Rs. 0.01 crore).

As matching savings are available in the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

(e) & (f): For providing interest free loan, upto Rs. 2.50 crore per ITI to Institute Managment Committee (IMC) of the concerned ITI for covering 290 ITIs in 24 States/Union Territories (approx. Rs. 725.00 crore) and 10 ITIs in NE States (Rs.25.00 crore). The proposed expenditure will be matched by recoveries from the "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Accounts of India.

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)। (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	C	harged:			
	स्वीकृत		Voted:	816.97	0.03	817.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)	816.99	0.03	817.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन		2014- Administration				
	स्वीकृत	of Justice	Voted:		0.01 (কa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों को लिए मांगा गया है:

- (क) विधिक शिक्षा से संबंधित नए कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) को सहायता अनुदान (5.75 करोड़ रुपए)।
- (ख) राज्य सरकारों को पारिवारिक अदालतों की अनावर्ती लागतों के प्रति भारत सरकार की देनदारी का निर्वाह करने के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid to National Judicial Academy (NJA) for meeting additional expenditure on new programmes relating to legal education (Rs.5.75 crore).
- (b) Grants-in-aid to State Governments in the discharge of Government of India's liability towards non-recurring costs of Family Courts(Rs.1.00 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)। (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 31 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत	Voted:	334.19	55.41	389.60
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	15.00		15.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	585.34	0.01	585.35
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	934.63	55.42	990.05
	भारित	Charged:	0.10	•••	0.10
	स्वीकृत	Voted:	934.53	55.42	989.95

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2853-अलोह खनन एवं		2853-Non-ferrous Mining and				
धातुकर्मीय उद्योग	स्वीकृत	Metallurgical Industries	Voted:	22.00 (कa)	563.34 (खb)	585.34
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4853-अलोह खनन एवं		4853-Capital Outlay on Non-				
धातुकर्मीय उद्योगों पर		ferrous Mining and				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Metallurgical Industries	Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	22.01	563.34	585.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में स्थापना, किराया दरों और करों के तहत निधि को बढ़ाने तथा अन्य खर्चों के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के एक भाग के रूप में संचित हानियों के समायोजन के लिए आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए जैसे कि 7.5 प्रतिशत असंचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर (180.73 करोड़ रुपए) को कम करके लिखना तथा 382.21 करोड़ रुपए की इक्विटी के अंकित मूल्य को 10 रुपए से 5 रुपए कम करने के जिरए पूंजी की पुनर्संरचना पर इक्विटी को कम करके लिखना। इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) भारत स्वर्ण खान लि. के संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिए (0.40 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) हिन्दुस्तान कॉपर लि. की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में आवश्यक मांग समायोजन करने हेतु जैसे कि ऋण (50 करोड़ रुपए) को इक्विटी के रूप में रूपांतरित करने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) for augmentation of fund under establishment, rent rates and taxes and other expenses in respect of Geological Survey of India. This will entail cash outgo.
- (b) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. write down of 7.5% non-cumulative redeemable preference share (Rs. 180.73 crore) and write down of equity on restructuring of capital through reduction of face value of equity from Rs.10 to Rs.5 amounting to Rs.382.21 crore against adjustment of accumulated losses as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.
 - (ii) for bridging the gap in resources of Bharat Gold Mines Limited (Rs.0.40 crore). This will entail cash outgo.
- (c) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. for conversion of loan (Rs.50 crore) into equity, as part of the approved restructuring plan of Hindustan Copper Limited.

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(कंन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)। (See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	442.83	70.00	512.83
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	442.84	70.00	512.84

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जातियों, अनु-	2225-Welfare of Scheduled			
सूचित जनजातियों और अन्य	Castes, Scheduled Tribes			
पिछड़े वर्गों का कल्याण स्वीकृत	and other Backward classes Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पहचान किए गए अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में मानीटिरगं तथा बेस लाइन सर्वेक्षण के लिए कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना के प्रसार हेतु मल्टी मीडिया अभिदान पर अतिरिक्त व्यय (14.98 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on multi-media campaign for dissemination of information regarding welfare schemes for monitoring and base line survey in the identified minority concentration districts (Rs. 14.98 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिए)। (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	40.00	10.00	50.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	40.01	10.00	50.01

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061-विदेशी मामले	स्वीकृत	2061-External Affairs	Voted:		0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता जागरूकता अभियान पर हुए व्यय (14.06 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure on Awareness Campaign (Rs.14.06 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 तथा वर्ष 2007-08 की प्रथम पूरक अनुदानों की एक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)। (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 33 of the first Supplementary Demands for Grants 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	4770.50		4770.50
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	4770.52	•••	4770.52

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Developmen	ıt			
कार्यक्रम	स्वीकृत	programmes	Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत ई-पंचायतों पर मिशन मोड-प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन (10 करोड़ रुपए) हेतु की गयी है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for implementation of Mission Mode Project on e-Panchayats (Rs.10 crore), under National e-Governance Plan.

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 तथा केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

		•			(करोड़ रुपए R	रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	2867.81		2867.81	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:	Votad.	11257 02		11257 02	
	स्वीकृत		Voted:	11256.93		11256.93	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)	14124.75	•••	14124.75	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:						
				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	ा जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2802-पेट्रोलियम	0	2802-Petroleum					
	स्वीकृत		Voted:		11256.93	11256.93	
		टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकताअ जिन्हें व्यय में से घटाक			पी गयी प्राप्तियां श	गमिल नहीं हैं।	
		Note: The above estimates. Receipts shown below		•			
8012-विशेष जमा		8012-Special Deposits					
और लेखे		and Accounts) 11256.92 (-		

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैं:

- (क) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के प्रति तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना (11,256.92 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड कोष (पीएनजीआरबीएफ) को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for :-

- (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs.11,256.92 crore). This will not entail cash outgo.
- (ii) Providing Grants-in-Aid to Petroleum & Natural Gas Regulatory Board Fund (PNGRBF) (Rs. 2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक सभा **LOK SABHA**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)। (See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.39		0.39
	स्वीकृत	Voted:	271.18	•••	271.18
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.05		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	271.62	•••	271.62
	भारित	Charged:	0.44		0.44
	स्वीकृत	Voted:	271.18		271.18

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- $II. \ \ This \ Supplementary \ Appropriation \ will \ be \ accounted \ for \ under \ the \ following \ Major \ Head:$

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/संघ		2011- Parliament/State/Union				
राज्य क्षेत्र विधानमंडल	भारित	Territory Legislatures	Charged:		0.05	0.05

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता अतिरिक्त स्थापना संबंधी स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting व्यय (0.05 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु है। चूंकि अनुदान के additional establishment related expenditure (Rs. 0.05 crore). As an equivalent amount would be surrendered from the Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)। (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	43347.86	•••	43347.86
I. पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	300.00	20.00	320.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	43647.87	20.00	43667.87

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054 - Roads and Bridges	Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से नाबार्ड की विशेष विंडों के तहत जुटाए गए ऋणों के लिए ब्याज (85.75 करोड़ रुपए) का भुगतान करने के लिए है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for payment of interest (Rs.85.75 crore) against the loan raised by National Rural Roads Development Agency (NRRDA) from Special Window of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेय जल आपूर्ति विभाग DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)। (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	7561.74		7561.74
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	7561.75	•••	7561.75

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		<i>REVENUE SECTION</i> MAJOR HEAD				
2215-जलापूर्ति एवं		2215-Water Supply and				
सफाई	स्वीकृत	Sanitation	Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता गुजरात राज्य के मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) संबंधी क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (14.82 करोड़ रुपए) और मल निकासी तथा स्वच्छता कार्यक्रम (70 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting the additional requirement of the Rural Water Supply Programme (Rs.14.82 crore) to be implemented in the Desert Development Programme (DDP) areas of the State of Gujarat, and Sewerage and Sanitation Programme (Rs.70 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय)

(Previously-Ministry of Small Scale Industries)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2007-08 की पहली पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 38 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	585.41	•••	585.41
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	1.90	1.92
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	4.05		4.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppleme	ntary)			
	स्वीकृत		Voted:	589.48	1.90	591.38

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग		2851-Village and Small				
	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	4.04 (कa)	4.04
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों		3602-Grants-in-aid to Union				
को सहायता-अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	4.04	4.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (क) दिनांक 1-4-2007 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. के सम्बन्ध में आवश्यक लेखा समायोजन अर्थात गारंटी शुल्क (4.04 करोड़) को माफ करने लिए। इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) लघु उद्योगों की सांख्यिकी के संग्रहण के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान (0.70 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee (Rs.4.04 crore) as on 1.4.2007 in respect of National Small Industries Corporation Ltd. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.
- (b) For providing grants-in-aid (Rs.0.70 crore) to the Union Territory Governments for Collection of statistics of Small Scale Industries. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2007-2008 की केन्द्रीय सरकार की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 39 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

					(करोड़ रुपए Rupees in Cro		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	1934.15	125.00	2059.15	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत	uno amo amo no marequine a.	Voted:	200.01		200.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	mentary)	2134.17	125.00	2259.17	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security				
और कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted:	0.01 (कa)		0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	to State Governments	Voted:	200.00 (खb)		200.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	200.01	•••	200.01

- ये पुरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन हेत् अपेक्षित हैं:
- (क) (i) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान (3.80 करोड़ रुपए);(ii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान (1.00 करोड़ रुपए); (iii) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (2.00 करोड़ रुपए); (iv) शारीरिक विकलांगता संस्थान (1.48 करोड़ रुपए); (v) भारतीय पुनर्वास परिषद् (1.70 करोड़ रुपए); और (vi) दीन दयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना (7.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांग की गयी है।
- (ख) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के तहत प्रावधान की बढ़ोतरी के लिए (200.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

- The supplementary grants are required for the following purpose:
 - (a) For Grants-in-aid to (i) National Institute for Visually Handicapped (Rs. 3.80 crore); (ii) National Institute for Orthopaedically Handicapped (Rs.1.00 crore); (iii) National Institute for Rehabilitation, Training & Research (Rs.2.00 crore); (iv) Institute for the Physically Handicapped (Rs. 1.48 crore); (v) Rehabilitation Council of India (Rs.1.70 crore); and (vi) Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme (Rs.7.00 crore). As matching savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.
 - (b) For augmentation of provision under Post Matric Scholarship Scheme (PMS) (Rs.200.00 crore). This will entail cash outgo.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)। (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			•	
-	स्वीकृत		Voted:	85.50	65.00	150.50
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	4.27		4.27
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	89.77	65.00	154.77

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	•••	4.27	4.27

यह पूरक अनुदान आवश्यक लेखा समायोजन करने जैसे कि मेकॉन लि. के संबंध में पेनल गारंटी शुल्क माफ करना के लिए मांगा गया है। इसकी पूर्ति प्रप्तियों द्वारा की जाएगी और इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for carrying out necessary accounting adjustment viz. waiver of penal guarantee fee in respect of MECON Ltd. This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.

कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)। (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

जोड

पुंजी

राजस्व

				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2811.20	325.48	3136.68
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1454.03	0.01	1454.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ıtary)			
	स्वीकृत		Voted:	4265.23	325.49	4590.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	म्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अन्तर्गत दि	खाया जाएगाः	
		II. This Supplementary Grant	will be account	ted for under the	following Majo	r Heads:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड
						olió
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		Plan		-
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		Plan		-
	स्वीकृत		Voted:			Total
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत	MAJOR HEAD	Voted:		Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग	स्वीकृत	MAJOR HEAD 2852-Industries	Voted:		Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग <i>पूंजी भाग</i>	स्वीकृत	MAJOR HEAD 2852-Industries CAPITAL SECTION	Voted:		Non-Plan	Total
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	MAJOR HEAD 2852-Industries CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:		Non-Plan	Total

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी हैं:

The supplementary grant is sought for the following purposes:-

- (क) एकीकृत कपड़ा पार्कों से सम्बन्धित योजना (एसआईटीपी) के तहत एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रबन्ध परामर्श की परामर्शी सेवाओं पर होने वाले व्यय (15 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ख) (i) आवश्यक लेखा समायोजनों के निष्पादन हेतु अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि. (एनटीसी) के अनुमोदित पुनर्सरचित योजना के भाग के रूप में दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार ब्याज काफी (1454.01 करोड़ रुपए) । इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) कपड़ा श्रम पुनर्वास योजना के तहत बंद पड़ी इकाइयों के कपड़ा कामगारों के दावों का निपटान करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (24.84 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु और सूरत में बाढ़ से प्रभावित कपड़ा उद्योगों को राहत और पैकेज सम्बन्धी व्यय (3.31 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु । चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ग) आवश्यक लेखा समायोजनों के निष्पादन हेतु अर्थात् अनुमोदित पुनर्सरंचना योजना के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि. के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण (2542.79 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

- (a) towards meeting the expenditure on consultancy services of the Project Management Consultant (Rs. 15 crore) for establishment of Integrated Textiles Parks under the Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of interest (Rs. 1454.01 crore) as on 31.3.2001 as part of approved restructuring plan of National Textile Corporation of India Ltd (NTC). This will be matched by receipts and hence will not entail cash outgo.
 - (ii) for meeting the additional expenditure on settling the claims of textile workers of the closed units (Rs. 24.84 crore) under Textile Labour Rehabilitation Scheme and meeting the expenditure on relief and package to the flood affected textiles industries in Surat (Rs. 3.31 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of outstanding loan (Rs. 2542.79 crore) as on 31.3.2001 into equity in respect of National Textile Corporation of India Ltd. as part of approved restructuring plan.

है :

मांग संख्या DEMAND NO. 93

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

				(करोड़ रुपए R	Rupees in Crore
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		_	
	भारित	Charged:	1489.29		1489.29
	स्वीकृत	Voted:	207.73	35.02	242.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
3	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	18.42		18.42
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1715.46	35.02	1750.48
	भारित	Charged:	1507.71		1507.71
	स्वीकृत	Voted:	207.75	35.02	242.77

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित	2225-Welfare of Scheduled				
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े	Castes, Scheduled				
वर्गों का कल्याण	Tribes and other				
	Backward classes				
स्वीकृत	ī	Voted:	0.01 (कa)		0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to				
अनुदान	State Governments				
भारित	Ŧ	Charged:	18.42 (खb)		18.42
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		18.43	•••	18.43
भारित	T	Charged:	18.42		18.42
स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु

- (क) अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान (0.04 करोड़ रुपए) और गणतन्त्र दिवस समाराहों के प्रचार पर हुए व्यय की पूर्ति करने और वन अधिकार नियमों आदि के लिए सहायता अनुदान (0.26 करोड़)। चूंकि, अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ख) आदिम जनजातीय समूहों के विकास संबंधी योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (18.42 करोड़)। चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation are sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs.0.04 crore) and for meeting expenditure on publicity for Republic Day celebrations, Forest Rights rules, etc., (Rs.0.26 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to State Governments under the scheme of Development of Primitive Tribal Groups (Rs.18.42 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted section of the Grant, this will not ential any cash outgo.

शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ-121 तथा वर्ष 2007-08 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)। (See page 121 - of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-08 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड **Total** Revenue Capital I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 25.72 23.70 49.42 Charged: स्वीकृत Voted: 1000.62 1670.00 2670.62 **SUPPLEMENTARY GRANT:** पूरक अनुदानः स्वीकृत 50.00 50.00 Voted: इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित 16.50 16.50 Charged: स्वीकृत Voted: 142.02 142.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1026.34 1902.22 2928.56 भारित 65.92 25.72 40.20 Charged: स्वीकृत 1000.62 2862.64 Voted: 1862.02

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4216-आवास निर्माण पर पूंजी		4216-Capital Outlay on				
परिव्यय	भारित	Housing	Charged:		16.50 (কa)	16.50
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	0.01 (чc)	0.02
4217-शहरी विकास पर		4217-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Urban Development	Voted:	100.00 (ਬd)		100.00
6217-शहरी विकास के लिए		6217-Loans for Urban				
ऋण	स्वीकृत	Development	Voted:	42.00 (ਵe)		42.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		142.01	16.51	158.52
	भारित		Charged:		16.50	16.50
	स्वीकृत		Voted:	142.01	0.01	142.02

इन पूरक अनुदानों/विनियोग की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है:

- (क) राष्ट्रपति भवन में जीर्णोद्वार तथा मरम्मत कार्य और आडीटोरियम कार्य के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का निपटान। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) सुनहरी बाग, नई दिल्ली में पुनर्विकास कार्य (40.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) आयकर विभाग के लिए जम्मु में भूमि की खरीद के लिए। (62.30 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (घ) वर्ष 2007-08 के लिए दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी पूंजी के भारत सरकार के हिस्से हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु गौण कर्ज के रूप में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants/appropriation are sought for the following purposes:

- (a) For renovation and repair works in the Rashtrapati Bhawan and clearance of pending bills in respect of auditorium work. This will entail cash outgo.
- (b) For re-development work at Sunehari Bagh, New Delhi (Rs. 40.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For purchase of land in Jammu for Income Tax Department (Rs. 62.30 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For Government of India's share of Equity Capital in Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for the year 2007-08. This will entail cash outgo.
- (e) For providing interest free loan as subordinate debt for acquisition of land to Delhi Metro Rail Corporation Ltd. This will entail cash outgo.

लोक निर्माण कार्य PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Carital	जोड़ Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:	Revenue	Capital	Totai
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	793.72	358.02	1151.74
पूरक अनुदान :	C	SUPPLEMENTARY GRANT:			
0	स्वीकृत	Voted:	•••	18.10	18.10
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	•••	45.00	45.00
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)	794.72	422.12	1216.84
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	793.72	421.12	1214.84

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
3 4059-लोक निर्माण कार्यों पर		4059-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:	•••	45.00	45.00

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की गयी है :-

- (क) देश में विभिन्न स्थानों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय भवनों का निर्माण (30.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी।
- (ख) देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यालय भवन/संकाय हॉस्टल/कार्गों परिसर के निर्माण और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लिए जमीन की खरीद करने के लिए (40.00 करोड़ रुपए)। इसमें से 15.00 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी। शेष राशि की पूर्ति अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से की जाएगी।

इन पुरक अनुदानों के कारण कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Construction of office buildings of Comptroller and Auditor General of India at various places in the country (Rs. 30.00 crore). An equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant.
- (b) Construction of office buildings/faculty hostel/cargo complex and for purchase of land for Central Board of Excise and Customs/Central Board of Direct Taxes at various places of the country (Rs. 40.00 crore). Of this Rs. 15.00 crore will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant. Balance amount will be met from the savings available within the same section of the grant.

There will be no cash outgo on account of these supplementaries.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिए)। (See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	853.01	41.15	894.16
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	853.02	45.15	898.17
	भारित	Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	853.02	41.15	894.17

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01	•••	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग ''नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध निर्माण कार्यों'' की योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for providing Grants-inaid to State Governments under the scheme "River Management Activities and Works related to Border Areas" (Rs.10.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2006-07 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2006-07.

	1 crore, whichever is more of	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
큙.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग			
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2006-2007	की राशि	टिप्पणियां		
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2006-2007	Amount of Re-appro- priation	Remarks		
1	2	3	4	5	6		
1.	खान मंत्रालय	I. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व भाग					
		(क) निदेशन एवं प्रशासन प्रशासनिक सहायता			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और आधुनिकीकरण के तहत खरीदी गई नई मशीनों पर बिजली की बढ़ी हुई खपत और पीओएल के मूल्यों में वृद्धि के कारण।		
	Ministry of Mines	I. Geological Survey of India Revenue Section					
		A. Direction & Administration Administrative Support	24.70	12.70	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to increased consumption of electricity on newly acquired machineries under modernisation & hike in POL		
		(ख) अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला अनुसंधान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और रासायनिक अभिकर्मकों तथा अन्य प्रयोगशाल उपकरणों के मूल्य में वृद्धि के कारण।		
		B. Research & Development Laboratory Research	3.71	0.76	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to price hike o chemical reagents and other laboratory accessories.		
		(ग) सर्वेक्षण और मानचित्रण भूतल, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए और समुर्द्र विंग के जलयानों के रख-रखाव के लिए दे तिमाही किश्तों को समायोजित करने के कारण।		
		C. Survey & Mapping Ground, Aerial & Marine Surve	y 20.09	6.01	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to accommodating two of the quarterly installments towards maintenance of vessels of marine wings.		
		(घ) खनिज अन्वेषण आर्थिक खनिज			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए और फील्ड में दक्ष व्यक्तियों के किराए पर लेने तथा और अन्वेषण संबंध		

अधिक कार्यक्रम व्यय की पूर्ति करने के लिए तथा पीओएल में वृद्धि के कारण।

अनुदानों की पूरक मांगें 2007-2008 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		D. Mineral Exploration Economic Minerals	10.90	3.25	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and hiring of skilled persons in the filed and more exploration programme and hike in POL.
		(डं) अन्य व्यय भिन्न-भिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए और विदेशी पत्रिका की खरीद करने और मूल्यों में वृद्धि होने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव के अधिक कार्य के कारण।
		E. Other Expenditure Miscellaneous Major Expenditure on different operations	8.65	1.38	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and due to purchase of foreign journal and hike in price and more maintaince work by CPWD.
		पूंजी भाग अन्य व्यय Capital Section			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए। To meet the expenditure for the
		Other Expenditure	0.01	0.99	benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		II. भारतीय खान ब्यूरो			
		राजस्व भाग (क) स्थापना			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए।
		II. Indian Bureau of Mines			.
		Revenue Section A. Establishment	11.82	0.27	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		(ख) प्रशिक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए।
		B. Training	0.23	0.12	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim
		पूंजी भाग अन्य व्यय Conital Section			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए किए गए व्यय की पूर्ति के लिए।
		Capital Section Other Expenditure	0.01	1.10	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		III. भारतीय खान ब्यूरो राजस्व भाग			
		(क) खानों का विनियमन एवं विकास चिकित्सीय उपचार			अतरंग चिकित्सीय उपचार में वृद्धि के अलावा कुछ पुराने बड़े रोगों का इलाज करने के कारण।
		III. Indian Bureau of Mines Revenue Section			
		A. Regulation and Development of Mines Medical Treatment	0.45	0.35	Due to certain major chronic disease treatments apart from increased indoor medical treatment.